पटना नगर निगम

मौर्यलोक कम्पलेक्स, पटना-800001

पटना कारपोरेशन

सशक्त स्थायी समिति की 13वीं साधारण बैठक की कार्यवाही:-

दिनांक :- 31-01-2025

समय :- 12:30 बजे अपराह्न

स्थान :- महापौर कार्यालय कक्ष, मौर्यालोक कम्पलेक्स, पटना।

अनिमेष कुमार पराशर, भा.प्र.से.	**रेशमी कुमारी**	***सीता साहू***
नगर आयुक्त	उप-महापौर	महापौर
पटना नगर निगम	पटना नगर निगम	पटना नगर निगम

पटना नगर निगम
PATNA MUNICIPAL CORPORATION

पटना कारपोरेशन
CITY OF PATNA

Letter No./ पत्रांक: 5315
27/03/2025

Patna Municipal Corporation
2025205315

दिनांक-31.01.2025 को आहूत सशक्त स्थायी समिति की 13वीं साधारण बैठक माननीया महापौर, श्रीमती सीता साहू की अध्यक्षता में हुई, जिसमें निम्नांकित माननीया / माननीय सदस्यों एवं पदाधिकारियों द्वारा भाग लिया गया,जिसकी उपस्थिति निम्न प्रकार है :-

1. **श्रीमती सीता साहू – महापौर, पटना नगर निगम।**
2. श्रीमती रेशमी कुमारी – उप-महापौर, पटना नगर निगम।
3. श्रीमती श्वेता राय – सदस्य, सशक्त स्थायी समिति।
4. श्रीमती कावेरी सिंह – सदस्य, सशक्त स्थायी समिति।
5. श्री आशीष कुमार सिन्हा – सदस्य, सशक्त स्थायी समिति।
6. श्री इन्द्रदीप कुमार चन्द्रवंशी – सदस्य, सशक्त स्थायी समिति।
7. श्री मनोज कुमार – सदस्य, सशक्त स्थायी समिति।
8. श्री बिनोद कुमार – सदस्य, सशक्त स्थायी समिति।

निगम प्रशासन

1. **श्री अनिमेश कुमार पराशर, भा.प्र.से. – नगर आयुक्त, पटना नगर निगम।**
2. श्री राजन सिन्हा(बि.पु.से.) – अपर नगर आयुक्त, पटना नगर निगम।
3. डा0 शशि शेखर – संयुक्त नगर आयुक्त, पटना नगर निगम।
4. श्री रामाशीष शरण तिवारी – उप-नगर आयुक्त-सह-नगर सचिव
5. श्री प्रभात रंजन – कार्यपालक पदाधिकारी, नू0रा0अं0
6. श्रीमती पुण्य तरू – कार्यपालक पदाधिकारी, पा0पु0अं0
7. श्री निखिल कुमार – कार्यपालक पदाधिकारी, कंकड़बाग अंचल
8. श्री गंगा कान्त ठाकुर – कार्यपालक पदाधिकारी, बाँकीपुर अंचल
9. सुश्री श्रेया कश्यप – कार्यपालक पदाधिकारी, अजीमाबाद अंचल
10. श्री आशुतोष कुमार – कार्यपालक पदाधिकारी, पटना सिटी अंचल
11. श्री सुशील कुमार झा – निदेशक, शहरी योजना, पटना नगर निगम
12. श्री रत्नेश कुमार रमण – मुख्य नगर अभियंता, पटना नगर निगम
13. श्री अनिल कुमार – कार्यपालक अभियंता, मुख्याल/जलापूर्ति शाखा
14. श्री सुभाष चन्द्र श्रीहर्ष – कार्यपालक अभियंता, पटना सिटी/अजीमाबाद
15. श्री विभूति चन्द्र – कार्यपालक अभियंता, बॉकीपुर प्रमंडल
16. श्री बब्लु कुमार गुप्ता – कार्यपालक अभियंता, विद्युत
17. श्री अवधेश कुमार सिंह – निजी सहायक
18. श्री विलास मांझी – निजी सहायक

सीता साहू
महापौर
पटना नगर निगम

Maurya Lok Complex, Budha Marg, Patna, Bihar- 800001, T- +91 612-2200691, E- patnamc-bih@gov.in, pmc-bihar.gov.in
facebook.com/cityofpatna, twitter.com/cityofpatna,instagram.com/cityofpatna, youtube.com/cityofpatna, 947 222 3909

अध्यक्ष :- बैठक में उपस्थित उप-महापौर, सशक्त स्थायी समिति के सभी सदस्य, नगर आयुक्त एवं उपस्थित सभी पदाधिकारियों का मैं स्वागत करती हूँ। बैठक की कार्यवाही शुरू की जाय।

नगर आयुक्त :- माननीया महापौर,उप-महापौर, सशक्त स्थायी समिति के सभी सदस्यों तथा पदाधिकारियों का हार्दिक स्वागत है।

नगर सचिव, कार्यसूची को पढ़ें।

मद संख्या-01 :- दिनांक-30.09.2024 को आहूत सशक्त स्थायी समिति की 12वीं साधारण बैठक की कार्यवाही की सम्पुष्टि।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, गत बैठक की कार्यवाही को सम्पुष्ट किया जाय।

श्रीमती कावेरी सिंह:- माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य के प्रस्ताव से सहमत हूँ। गत बैठक की कार्यवाही को सम्पुष्ट किया जाय।

श्री बिनोद कुमार :- माननीय अध्यक्ष महोदया, बैठक की कार्यवाही को सम्पुष्ट किया जाता है।

प्रस्ताव संख्या-334 :- सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि दिनांक-30.09.2024 को आहूत सशक्त स्थायी समिति की 12वीं साधारण बैठक की कार्यवाही को सम्पुष्ट किया जाता है।

मद संख्या-02 :- वार्ड संख्या–68 अंतर्गत हाईयील्ड बोरिंग अधिष्ठापित के संबंध में।

अध्यक्ष :- **हाईयील्ड बोरिंग अधिष्ठापन का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।**

नगर आयुक्त :- पटना नगर निगम के माननीय/माननीया पार्षद द्वारा वहाँ के आमलोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जलापूर्ति मुहैया कराने हेतु योजना के कार्यान्वयन हेतु निवेदित किया गया है, जिसके आलोक में संबंधित अभियंताओं द्वारा स्थल निरीक्षणोपरांत प्राक्कलन तैयार किया गया है, जिसकी विवरणी निम्न है:–

पटना नगर निगम ★ PATNA MUNICIPAL CORPORATION ★ पटना कारपोरेशन

महापौर
पटना नगर निगम

SNo.	Name of Work	Estimated Amount
1	Construction of High Yield Tube Well at Karmalichak in Ward No.-68	1,36,46,800.00

वर्णित योजना का तकनीकी अनुमोदन सक्षम प्राधिकार से प्राप्त है। अतएव उक्त योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए सशक्त स्थायी समिति के समक्ष विमर्श एवं स्वीकृति हेतु रखा गया है।

श्री मनोज कुमार :– माननीया अध्यक्ष महोदया, आम लोगों की समस्या को ध्यान में रखते हुए, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्री बिनोद कुमार :– माननीया अध्यक्ष महोदया, यह जनहित का प्रस्ताव है, वार्ड संख्या–68 में हाईयील्ड बोरिंग अधिष्ठापन से वार्ड– 68 की जनता को काफी लाभ होगा, इसे पारित किया जा सकता है।

श्रीमती श्वेता राय :– माननीया अध्यक्ष महोदया, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या–335 :– **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि Construction of High Yield Tube Well at Karmalichak in Ward No.-68, जिसकी प्राक्कलित राशि 1,36,46,800.00 रू0 है की स्वीकृति सशक्त स्थायी समिति द्वारा प्रदान करते हुए निगम पर्षद को अनुशंसित किया जाता है।**

मद संख्या-03 :- **वार्ड संख्या–30 के अन्तर्गत रामकृष्णा नगर बैंक ऑफ इंडिया के पास बुद्विजीवी कॉलनी में जलापूर्ति पम्प (हाईयील्ड बोरिंग) लगाने के संबंध में।**

अध्यक्ष :- **हाईयील्ड बोरिंग अधिष्ठापन का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।**

नगर आयुक्त :– पटना नगर निगम के माननीय/माननीया पार्षद द्वारा वहाँ के आमलोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जलापूर्ति मुहैया कराने के लिए योजना के कार्यान्वयन हेतु निवेदन किया गया है, जिसके आलोक में संबंधित अभियंताओं द्वारा स्थल निरीक्षणोपरांत प्राक्कलन तैयार किया गया है, जिसकी विवरणी निम्न है।

SNo.	Name of Work	Estimated Amount
1	Construction of High Yield Tube Well Ram Krishna Nagar, Near Bank of India Colony , Buddhijivi Colony at Ward No-30	1,36,46,800.00

महापौर
पटना नगर निगम

वर्णित योजना का तकनीकी अनुमोदन सक्षम प्राधिकार से प्राप्त है। अतएव उक्त योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए सशक्त स्थायी समिति के समक्ष विमर्श एवं स्वीकृति हेतु रखा गया है।

डा0 आशीष कु0 सिन्हा :— माननीया अध्यक्ष महोदया, वार्ड संख्या—30 में हाईयील्ड बोरिंग अधिष्ठापन का प्रस्ताव है। यह जनहित का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्री बिनोद कुमार :— माननीया अध्यक्ष महोदया, यह जनहित का प्रस्ताव है, वार्ड संख्या—30 में हाईयील्ड बोरिंग अधिष्ठापन से वार्ड– 30 की जनता को काफी लाभ होगा, इसे पारित किया जा सकता है।

श्रीमती श्वेता राय :— माननीया अध्यक्ष महोदया, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्री इन्द्रदीप कु0 चन्द्रवंशी :— माननीया अध्यक्ष महोदया, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या—336 :— सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि **Construction of High Yield Tube Well Ram Krishna Nagar, Near Bank of India Colony, Buddhijivi Colony at Ward No-30,** जिसकी प्राक्कलित राशि 1,36,46,800.00 रू0 है की स्वीकृति सशक्त स्थायी समिति द्वारा प्रदान करते हुए निगम पर्षद को अनुशंसित किया जाता है।

मद संख्या—04 :— **वार्ड संख्या— 62 के सती चौरा मे उच्च प्रवाह नलकूप अधिष्ठापन के संबंध में।**

अध्यक्ष :- **हाईयील्ड बोरिंग अधिष्ठापन का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।**

नगर आयुक्त :— पटना नगर निगम के माननीय / माननीया पार्षद द्वारा वहाँ के आमलोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जलापूर्ति मुहैया कराने हेतु योजना के कार्यान्वयन हेतु निवेदित किया गया है, जिसके आलोक में संबंधित अभियंताओं द्वारा स्थल निरीक्षणोपरांत प्राक्कलन तैयार किया गया है, जिसकी विवरणी निम्न है:—

S. No	Name of Work	Estimated Amount
1	Construction of High Yield Tube Well at Near Jallawale Hanuman Mandir Begampur in Ward No.-62	1,36,46,800.00

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

महापौर
पटना नगर निगम

वर्णित योजना का तकनीकी अनुमोदन सक्षम प्राधिकार से प्राप्त है। अतएव उक्त योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए सशक्त स्थायी समिति के समक्ष विमर्श एवं स्वीकृति हेतु रखा गया है।

श्री मनोज कुमार :– माननीया अध्यक्ष महोदया, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्रीमती कावेरी सिंह :– माननीया अध्यक्ष महोदया, गर्मी के मौसम को देखते हुए इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या–337 :– **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि Construction of High Yield Tube Well at Near Jallawale Hanuman Mandir Begampur in Ward No.-62, जिसकी प्राक्कलित राशि 1,36,46,800.00 रू0 है की स्वीकृति सशक्त स्थायी समिति द्वारा प्रदान करते हुए निगम पर्षद को अनुशंसित किया जाता है।**

मद संख्या–05:– **Construction of High Yield Tubewell at North-West Corner of Patliputra Sports Complex Ground and Infront of Medanata Hospital Gate No. 04 In Ward no-34 के संबंध में।**

अध्यक्ष :– **हाईयील्ड बोरिंग अधिष्ठापन का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।**

नगर आयुक्त :– पटना नगर निगम के माननीय/माननीया पार्षद द्वारा वहाँ के आमलोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जलापूर्ति मुहैया कराने हेतु योजना के कार्यान्वयन हेतु निवेदन किया गया है, जिसके आलोक में संबंधित अभियंताओं द्वारा स्थल निरीक्षणोपरांत प्राक्कलन तैयार किया गया है, जिसकी विवरणी निम्न है।

S. No	Name of Work	Estimated Amount
1	**Construction of High Yield Tubewell at North-West Corner of Patliputra Sports Complex Ground and Infront of Medanata Hospital Gate No. 04 In Ward no-34**	1,36,46,800.00

वर्णित योजना का तकनीकी अनुमोदन सक्षम प्राधिकार से प्राप्त है। अतएव उक्त योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए सशक्त स्थायी समिति के समक्ष विमर्श एवं स्वीकृति हेतु रखा गया है।

पटना नगर निगम ★ PATNA MUNICIPAL CORPORATION ★

महापौर
पटना नगर निगम

श्री मनोज कुमार :– माननीया अध्यक्ष महोदया, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्रीमती कावेरी सिंह :– माननीया अध्यक्ष महोदया, गर्मी के मौसम को देखते हुए इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या–338 :– **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि Construction of High Yield Tubewell at North-West Corner of Patliputra Sports Complex Ground and Infront of Medanata Hospital Gate No. 04 In Ward no-34, जिसकी प्राक्कलित राशि 1,36,46,800.00 रू0 है की स्वीकृति सशक्त स्थायी समिति द्वारा प्रदान करते हुए निगम पर्षद को अनुशंसित किया जाता है।**

मद संख्या– 06 :– **सफाई कार्य में कार्यरत वाहनों के रख-रखाव के संबंध में।**

अध्यक्ष :– इस आशय का संलेख अप्राप्त है।

श्री बिनोद कुमार :– माननीया अध्यक्ष महोदया, सफाई कार्य में कार्यरत वाहनों कि हालत बहुत खराब है। जिसके कारण डोर टू डोर कचरा उठाव में काफी कठिनाई हो रही है। मेरा सुझाव है कि सफाई शाखा के वाहनों के रख–रखाव हेतु कर रहे पदाधिकारी की संख्या बढ़ाने की जरूरत है।स्वच्छता सर्वेक्षण, 2025 को देखते हुए सफाई कार्य में चल रहें वाहनों के लिए एक विशेष बैठक रखने की आवश्यकता है।

श्री मनोज कुमार :– मैं माननीय सदस्य के सुझाव से सहमत हूँ। सफाई कार्य में कार्यरत वाहनों की रख–रखाव हेतु एक विशेष बैठक बुलाने की आवश्यकता है।

नगर आयुक्त :– अंचलों में नये वर्कशॉप बन गये है। जिससे वाहनों के रख–रखाव में काफी सुधार होने की संभावना है।

मद संख्या–07:– वार्ड संख्या–22 के अन्तर्गत हाईयील्ड बोरिंग अधिष्ठापन के संबंध में।

नगर आयुक्त :– पटना नगर निगम के माननीय/माननीया पार्षद द्वारा वहाँ के आमलोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जलापूर्ति मुहैया कराने के लिए योजना के कार्यान्वयन हेतु निवेदित किया गया है, जिसके आलोक में संबंधित अभियंताओं द्वारा स्थल निरीक्षणोपरांत प्राक्कलन तैयार किया गया है, जिसकी विवरणी निम्न है।

महापौर
पटना नगर निगम

S. No	Name of Work	Estimated Amount
1	**Construction of High Yield Tubewell at Sri Radhakrishna Purani Mandir, Satsang Dham Campus Anandpuri at ward No-22**	1,36,46,800.00

वर्णित योजना का तकनीकी अनुमोदन सक्षम प्राधिकार से प्राप्त है। अतएव उक्त योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए सशक्त स्थायी समिति के समक्ष विमर्श एवं स्वीकृति हेतु रखा गया है।

श्री मनोज कुमार :– माननीया अध्यक्ष महोदया, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्रीमती कावेरी सिंह :– माननीया अध्यक्ष महोदया, गर्मी के मौसम को देखते हुए इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

उप–महापौर :– माननीया अध्यक्ष महोदया, हाईयील्ड बोरिंग एवं पेयजल से संबंधित सभी योजनाओं को पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या–339 :– सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि **Construction of High Yield Tubewell at Sri Radhakrishna Purani Mandir, Satsang Dham Campus Anandpuri at ward No-22**, जिसकी प्राक्कलित राशि 1,36,46,800.00 रू0 है की स्वीकृति सशक्त स्थायी समिति द्वारा प्रदान करते हुए निगम पर्षद को अनुशंसित किया जाता है।

मद संख्या-08 :- **दिनांक-28.10.2021 को आहूत सशक्त स्थायी समिति की 52वीं साधारण बैठक के मद संख्या-02, प्रस्ताव संख्या-643 में पारित प्रस्ताव के आलोक में नन्द गोला घाट पर स्वीकृत शवदाह गृह के निर्माण हेतु प्राक्कलित राशि 1,09,25,344.185 रू0 की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

अध्यक्ष :- इस आशय का संलेख अप्राप्त है।

श्री बिनोद कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, पटना सिटी के नन्दगोला घाट में शवदाह गृह लगभग 4 वर्षो से स्वीकृत है, पर अब तक कार्य नहीं हो पाना खेद जनक है, पिछले बैठक में तकनीकी अनुमोदन के लिए गया है। इसका क्या हुआ? जबकि बुडको में तकनीकी अनुमोदन सक्षम प्राधिकार है।

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

महापौर
पटना नगर निगम

मुख्य नगर अभि0 :- मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूँ, मुझे हाल के दिनों में ही चार्ज मिला है। मैं एक सप्ताह में तकनीकी अनुमोदन की प्रक्रिया पूरी कर दुँगा।

डा0 आशीष कु0 सिन्हा :- माननीया अध्यक्ष महोदया, इस प्रस्ताव की तकनीकी अनुमोदन की प्रक्रिया करते हुए इसे पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या-340 :- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि नन्द गोला घाट पर स्वीकृत शवदाह गृह के निर्माण हेतु प्राक्कलित राशि 1,09,25344.185 रू0 की प्रशासनिक स्वीकृति सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए निगम पर्षद को अनुशंसित किया जाता है।**

मद संख्या-09 :- **पटना नगर निगम में IEC Acitivity के लिए चयनित एजेंसी Human Matrix Securite की कार्यावधि दिनांक-31.05.2024 से आगामी 01 (एक) वर्ष तक विस्तार तथा स्वच्छ सर्वेक्षण के महत्वपूर्ण कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यकतानुसार अतिरिक्त मानवबल रखने के संबंध में।**

अध्यक्ष :- निगम में कार्यरत **Human Matrix Securite** एजेंसी का अवधि विस्तार का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- माननीया अध्यक्ष महोदया, IEC Acitivity के सम्पादित करने वाली एजेंसी Human Matrix Securite की कार्यावधि दिनांक 31.05. 2024 को पूर्ण हो चुका है। वर्त्तमान समय में स्वच्छता सर्वेक्षण को ध्यान में रखते हुए दिनांक-31.05.2024 से एक वर्ष के लिए सेवा विस्तार एवं आवश्यकतानुसार मानव बल रखने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति के समक्ष विमर्श/निर्णय हेतु रखा गया है।

श्री बिनोद कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, निगम में कार्यरत जिन एजेंसियों का कार्य समाप्त हो गया है या होने वाला है, उनकी सेवा अवधि का बार-बार विस्तार नहीं किया जाय। पुनः एजेंसियों को रखने के लिए निविदा करने

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION पटना कारपोरेशन

सीता साहू
महापौर
पटना नगर निगम

का प्रस्ताव पारित किया गया है। साथ ही पटना नगर निगम में कार्यरत स्वच्छता पदाधिकारी को इस कार्य में लगाया जाय।

स्वच्छता सर्वेक्षण, 2025 को देखते हुए Human Matrix Securite एजेंसी की कार्यावधि 30.04.2025 तक बढ़ाने की स्वीकृति दी जा सकती है। इसलिए नये एजेंसियों के चयन की कार्रवाई हर हाल में किया जाय।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, बार-बार एजेंसी का सेवा विस्तार देना निगमहित में नहीं है। परन्तु अभी स्वच्छता सर्वेक्षण आने वाला है, उसे ध्यान में रखते हुए 30.04.2025 तक सेवा विस्तार दिया जा सकता है, इस बीच नये एजेंसियों के चयन की भी कार्रवाई की जाय।

श्रीमती श्वेता राय :- माननीया अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्यों का प्रस्ताव अच्छा है, एजेंसी की कार्यावधि दिनांक-30.04.2025 तक बढ़ाया जा सकता है।

श्रीमती कावेरी सिंह:- माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं प्रस्ताव से सहमत हूँ इसे पारित किया जाय।

उप-महापौर :- माननीया अध्यक्ष महोदया, एजेंसी का बार-बार अवधि विस्तार करना निगमहित में नहीं है। मेरा सुझाव है कि 31 मार्च 2025 के पूर्व नई एजेसियों के चयन की कार्रवाई पूरी कर ली जाय।

प्रस्ताव संख्या- 341 :- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पटना नगर निगम में IEC Acitivity के लिए चयनित एजेंसी Human Matrix Securite की कार्यावधि स्वच्छता सर्वोक्षण को देखते हुए दिनांक-30.04. 2025 तक विस्तार करने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

पटना नगर निगम ★ PATNA MUNICIPAL CORPORATION ★ पटना कारपोरेशन

सीता साहू
महापौर
पटना नगर निगम

मद संख्या-10 :- **वार्ड संख्या-21 स्थित अदालतगंज के इस्कॉन मंदिर प्रवेश द्वार में पेभर ब्लॉक लगाने के संबंध में।**

अध्यक्ष :- इस आशय का संलेख अप्राप्त है, समीक्षा के साथ संलेख अगली बैठक में रखें।

मद संख्या-11:- **पटना नगर निगम क्षेत्र में वॉल पेंटिंग हेतु स्थल की सूची, क्षेत्रफल एवं मापी के साथ उपलब्ध करायें।**

अध्यक्ष :- पटना नगर निगम क्षेत्र में वॉल पेंटिंग हेतु स्थल की सूची, क्षेत्रफल एवं मापी के साथ उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत आने वाले पुलों, पिलरों एवं दीवारों पर रंग-रोगन/चित्र एवं कलाकृतियों को बनाने /पेंटिंग करने/स्वच्छता से संबंधित संदेशों को लिखने हेतु वाल पेंटिंग का कार्य कराया जाना है।

अतः उक्त के आलोक में वाल पेंटिंग हेतु स्थल की सूची, क्षेत्रफल एवं मापी के साथ उपलब्ध कराने हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष विमर्श/निर्णय हेतु रखा गया है।

डा0 आशीष कु0 सिन्हा :- माननीया अध्यक्ष महोदया, पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत वॉल पेंटिंग पुलों, पिलरों एवं दीवारों पर रंग-रोगन/चित्र एवं कलाकृतियों को बनाने /पेंटिंग करने से आकर्षक एवं सुन्दर दिखेगा। इससे स्वच्छता सर्वेक्षण में भी इसका फायदा पहुँचेगा। मेरा सुझाव है रंग रोगन हेतु स्थलों की सूची, माननीया पार्षदों से भी ली जाय, उसके क्षेत्र फल के साथ संलेख आना चाहिए।

श्री इन्द्रदीप कु0 चन्द्रवंशी :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य के प्रस्ताव से सहमत हूँ। संलेख सूची के साथ अगली बैठक में लायी जाय।

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

सीता साहू

महापौर
पटना नगर निगम

प्रस्ताव संख्या-342 :- **<u>सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पटना नगर निगम क्षेत्र में वॉल पेंटिंग हेतु स्थल की सूची, क्षेत्रफल एवं मापी के साथ अगली बैठक में उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।</u>**

मद संख्या-12 :- वार्ड संख्या-57 के अन्तर्गत उच्च प्रवाही बोरिंग स्थापित करने के संबंध में।

अध्यक्ष :- इस आशय का संलेख अप्राप्त है, संलेख अगली बैठक में रखें।

मद संख्या-13 :- **वार्ड संख्या-57 के अन्तर्गत सादिकपुर पुलिस चौकी के समीप नया उच्च प्रवाही बोरिंग से पाईप लाईन बिस्तार के संबंध में।**

अध्यक्ष :- इस आशय का संलेख अप्राप्त है, संलेख अगली बैठक में रखें।

मद संख्या-14 :- **Amazing India विस्तृत संलेख उपस्थापित करने के संबंध में।**

अध्यक्ष :- इस आशय का संलेख अप्राप्त है।

श्री बिनोद कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं बताना चाहता हूँ कि सशक्त स्थायी समिति की बैठक में प्रस्ताव लाए बिना Amazing India को हटा दिया गया था। मेरा कहना है कि जब Amazing India को रखने हेतु निर्णय सशक्त स्थायी समिति/निगम पर्षद द्वारा लिया गया था तो हटाने की कार्रवाई का प्रस्ताव भी सशक्त स्थायी समिति/निगम पर्षद में आना चाहिए था। जिसके कारण Amazing India माननीया न्यायालय में निगम के विरूद्ध मुकदमा दायर किया और न्यायालय द्वारा Amazing India के पक्ष में स्थगन आदेश दिया। उक्त आदेश के आलोक में अब Amazing India कार्य कर रहा है। इस कारण निगम की छवि धुमिल हुई। उपरोक्त के आलोक में Amazing India के Contract को निरस्त करने का आदेश न्याय संगत नहीं है। अत: निगम प्रशासन

महापौर
पटना नगर निगम

द्वारा निर्गत आदेश को रद्द किया जाता है। मेरा सुझाव है कि भविष्य में ऐसी कार्रवाई न हो, इसके लिए पटना नगर निगम को ऐसी कार्रवाई न दोहराने के लिए आगाह किया जा सकता है।

श्रीमती श्वेता राय :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य के प्रस्ताव से सहमत हूँ। भविष्य में इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए।

श्रीमती कावेरी सिंह :- माननीया अध्यक्ष महोदया, जिस विषय का प्रस्ताव सशक्त स्थायी समिति से पारित होता है। उसे रद्द करने या हटान का प्रस्ताव भी सशक्त स्थायी समिति में आना चाहिए।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्यों के प्रस्ताव से सहमत हूँ।

उप-महापौर :- माननीय सदस्य का तर्क नियमसंगत है। मैं सदस्यों के प्रस्ताव से सहमत हूँ।

प्रस्ताव संख्या-343:- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि Amazing India सहित ऐसा कोई भी निर्णय जो सशक्त स्थायी समिति/निगम पर्षद से पारित हो, उसे रद्द करने का प्रस्ताव सशक्त स्थायी समिति/निगम पर्षद के समक्ष प्रस्ताव लाए बिना रद्द नहीं करने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

मद संख्या-15 :- एक करोड़ की योजना की सूची अविलम्ब उपस्थापित करने के संबंध में।

अध्यक्ष :- इस आशय का संलेख अप्राप्त है, सूची के साथ अगली बैठक में लाया रखा जाय।

मद संख्या-16 :- योग एवं प्राणयाम कार्य हेतु आर्ट ऑफ लिविंग संस्था को जगह उपलब्ध कराने के संबंध में।

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

सीता साहू
महापौर
पटना नगर निगम

अध्यक्ष :- इस आशय का संलेख अप्राप्त है, इसका संलेख अगली बैठक में रखा जाए।

मद संख्या-17 :- वार्ड संख्या-57 के अन्तर्गत विभिन्न इलाकों में जलापूर्ति पाईप लाईन का विस्तार।

अध्यक्ष :- **इस आशय का संलेख अप्राप्त है, इसका संलेख अगली बैठक में लाया जाए।**

मद संख्या :- 18 - पटना नगर निगम के प्रत्येक वार्डो में 05-05 अद्द सबमर्सिबल अधिष्ठापन हेतु मॉडल प्राक्कलन की स्वीकृति के संबंध में।

अध्यक्ष :- प्रत्येक वार्डो में 05-05 अद्द सबमर्सिबल अधिष्ठापन हेतु मॉडल प्राक्कलन की स्वीकृति का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- सरकार के विभागीय पत्रांक-2575, दिनांक-28.05.2019 के मार्गदर्शिका के कंडिका- 05 के अनुसार 15वें वित्त के जलापूर्ति मद से प्रत्येक वार्ड में अधिकतम 02 अद्द सबमर्सिबल अधिष्ठापित किया जाना है। अतएव विभागीय मार्गदर्शिका के आलोक में प्रत्येक वार्ड में अधिकतम 02 अद्द सबमर्सिबल 15वें वित्त के जलापूर्ति मद से एवं शेष 03 अद्द सबमर्सिबल का अधिष्ठापन निगम मद से कराये जाने की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष निर्णय हेतु रखा गया है।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्री बिनोद कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या-344 :- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि विभागीय मार्गदर्शिका के आलोक में प्रत्येक वार्ड में अधिकतम 02 अद्द सबमर्सिबल 15वें वित्त के जलापूर्ति मद से एवं शेष 03 अद्द सबमर्सिबल का अधिष्ठापन(कुल-05) निगम मद से कराये जाने के प्रस्ताव की**

महापौर
पटना नगर निगम

स्वीकृति सशक्त स्थायी समिति द्वारा प्रदान करते हुए निगम पर्षद को अनुशंसित किया जाता है।

मद संख्या-19 :- **पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत Mission Total Segregation कार्य में मोबिलाईजर के रूप में संलग्न Self-help groups(SHGs) की महिलाओं को पारिश्रमिक भुगतान के संबंध में।**

अध्यक्ष :- मोबिलाईजर के रूप में संलग्न Self-help groups(SHGs) की महिलाओं को पारिश्रमिक भुगतान का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- पटना नगर निगम क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तहत सभी 75 वार्डों में प्रत्येक आवासीय निकायों से अलग-अलग कचरा संग्रहण हेतु प्रशिक्षण दिया गया था। इस कार्य हेतु Self-help groups(SHGs) की महिलाओं से कार्य लिया जा रहा है। विभागीय पत्रांक-03/ SBM-01-13/2016-1352/ न0वि0एवं आ0वि0, दिनांक-28.05.2016 द्वारा मोबलाईजर के रूप में कार्यरत महहिलाओं को 200/-रू0 प्रति दिन भुगतान किया जाना है। जिसपर लगभग 75,000/- रू0 प्रति दिन व्यय होंगे। SHGs) Group की महिलाओं को पारिश्रमिक भुगतान हेतु विमर्श के लिए सशक्त स्थायी समिति के समक्ष निर्णय हेतु रखा गया है।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, वर्त्तमान समय को देखते हुए 200/-रू0 पारिश्रमिक बहुत कम प्रतीत होता है। कम से कम एक सौ रूपया और बढ़ा दिया जाय। स्वच्छता सर्वेक्षण को देखते हुए इसकी अवधि विस्तार 31 मार्च 2025 तक किया जाय।

श्री बिनोद कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य का सुझाव अच्छा है। 300 रू0 प्रति दिन पारिश्रमिक भुगतान के प्रस्ताव को पारित किया जाय तथा इसकी अवधि विस्तार 31 मार्च 2025 तक किया जाय।

प्रस्ताव संख्या-345 :- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत Mission Total Segregation कार्य में मोबिलाईजर के रूप में संलग्न Self-help groups(SHGs) की महिलाओं को**

महापौर
पटना नगर निगम

प्रतिदिन 300/-(तीन सौ रू0) पारिश्रमिक भुगतान के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए निगम पर्षद को अनुशंसित किया जाता है। स्वच्छता सर्वेक्षण को देखते हुए इनकी अवधि विस्तार 31 मार्च 2025 तक की जाती है।

मद संख्या-20:- Tea-24 Disability(Ngo) को पटना नगर निगम द्वारा कोकोपिट रिसाइक्लिंग प्रोजेक्ट में कार्य करने हेतु अनुमति के संबंध में।

अध्यक्ष :- **कोकोपिट रिसाइक्लिंग प्रोजेक्ट में कार्य करने हेतु अनुमति का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।**

नगर आयुक्त :- Tea-24 Disability Foundation (Ngo) 101, लक्ष्मी अपार्टमेंट, कंकड़बाग, पटना द्वारा आवेदन पत्र देकर अनुरोध किया गया है कि कोकोपिट रिसाइक्लिंग प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है। यह एजेंसी दिव्यांगजनों का है। इस प्रोजेक्ट के शुरू होने से पर्यावरण के लिए काम होगा। जैसे- मंदिरों के चढ़ाये गए फूल को जमाकर, अगरबती, अबीर, फेस पैक तैयार करती है। इस रिसाइक्लिंग एजेंसी को उक्त कार्य हेतु अनुमत्ति देने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति के समक्ष निर्णय हेतु रखा गया है।

श्री विनोद कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मंदिरों एवं अन्य संस्थानों में चढ़ाए गए फूल को जहाँ-तहाँ फेंक दिया जाता है। जिसके कारण पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। मेरा प्रस्ताव है कि इस एन0जी0ओ0 को कार्य करने की अनुमत्ति दी जा सकता है।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, यह दिव्यांगजनों की संस्था है, उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए, कार्य करने की अनुमत्ति दी जा सकती है।

सीता साहू

महापौर
पटना नगर निगम

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

प्रस्ताव संख्या-346:- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि Tea-24 Disability Foundation (Ngo) 101, लक्ष्मी अपार्टमेंट, कंकड़बाग, पटना को पटना नगर निगम द्वारा कोकोपिट रिसाइक्लिंग प्रोजेक्ट में कार्य करने की अनुमति देने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

मद संख्या-21 :- पर्यावरण एवं बागवानी शाखा को सुदृढ़ करने के संबंध में।

अध्यक्ष :- **पर्यावरण एवं बागवानी शाखा को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।**

नगर आयुक्त :- माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि बिहार सरकार द्वारा प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से पर्यावरण एवं बागवानी (Environment & Horticulture) मिशन शुरू किया गया है, जिसके तहत सरकार द्वारा पर्यावरण एवं बागवानी शाखा का गठन किया गया है।

वर्तमान समय में प्रदूषण नियंत्रण के उदेश्य से पर्यावरण एवं बागवानी से संबंधित कार्य का विभिन्न शाखाओं द्वारा किया जा रहा है। प्रदूषण से संबंधित मामलें को देखते हुए इसपर नियंत्रण हेतु एक वृह्त कार्य योजना तैयार करने हेतु पर्यावरण एवं बागवानी शाखा को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। जिसपर विमर्श/निर्णय हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है।

डा0 आशीष कु0 सिन्हा :- माननीया अध्यक्ष महोदया, पूर्व में नगर निगम में बागवानी शाखा था एवं उस शाखा की देख भाल के लिए सरकार से उद्यान पदाधिकारी(Horticulture Officer) की प्रतिनियुक्ति भी हुई थी। जो निगम क्षेत्र के पार्को का रख-रखाव करते थे। मेरा सुझाव है यह व्यवस्था पुनः लागू किया जाय। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्री इन्द्रदीप कु0 चन्द्रवंशी :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य के प्रस्ताव से सहमत हूँ। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

महापौर
पटना नगर निगम

प्रस्ताव संख्या-347 :- सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पर्यावरण एवं बागवानी शाखा को सुदृढ़ करने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए निगम पर्षद को अनुशंसित किया जाता है।

मद संख्या-22 :- पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत असहाय/निर्धन/जरूरतमंदों के बीच निगम के द्वारा क्रय कर कंबल वितरण करने के संबंध में।

अध्यक्ष :- असहाय/निर्धन/जरूरतमंदों के बीच निगम के द्वारा क्रय कर कंबल वितरण करने के संबंध में।

नगर आयुक्त :- पटना नगर निगम के द्वारा असहाय/निर्धन/जरूरतमंदों को ठंड के मौसम में आश्रय के उद्देश्य से कई स्थानों पर स्थायी/अस्थायी आश्रय स्थल का निर्माण किया जा चुका है।

वर्त्तमान में शीतलहर के प्रकोप से असहाय/निर्धन/जरूरतमंदों के बीच पटना नगर निगम के द्वारा लगभग 5000 कंबल का वितरण किया जाना है, जिसके क्रय में व्यय होने वाली राशि पर विमर्श अपेक्षित है।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, ठंड का मौसम समाप्त हो गया है। मेरा सुझाव है कि कंबल वितरण कार्य को स्थगित किया जाय एवं इसे अगले वर्ष ठंड शुरू होने के साथ किया जाय।

प्रस्ताव संख्या-348 :- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि ठंड का मौसम समाप्त हो गया है जिसके कारण पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत असहाय/निर्धन/जरूरतमंदों के बीच निगम के द्वारा क्रय कर कंबल वितरण करने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्थगित की जाती है एवं अगले वर्ष ठंड के मौसम के प्रारंभ में कंबल वितरण की कार्रवाई शुरू की जाय।**

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

मद संख्या–23:– वार्ड संख्या– 15 के सभी मोहल्लों में जलापूर्ति के लिए हाई बोरिंग लगाने के संबंध में।

सीता साहू
महापौर
पटना नगर निगम

अध्यक्ष :— हाई बोरिंग लगाने का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :— पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत बढ़ते हुए शहरीकरण एवं जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मौजूदा विभिन्न वार्डो में जलापूर्ति सुनिश्चित करने हेतु जलापूर्ति हेतु हाई बोरिंग लगाने की आवश्यकता महसूस की गई है।
पटना नगर निगम के माननीय/माननीया पार्षद द्वारा वहाँ के आमलोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जलापूर्ति मुहैया कराने हेतु योजना के कार्यान्वयन हेतु निवेदित किया गया है, जिसके आलोक में संबंधित अभियंताओं द्वारा स्थल निरीक्षणोपरांत प्राक्कलन तैयार किया गया है, जिसकी विवरणी निम्न है।

S. No	Name of Work	Estimated Amount
1	Construction of High Yield Tube Well at Backside of Yarpur Dom Khana in Ward No.-15	1,36,46,800.00

अतएव तकनीकी अनुमोदन की प्रत्याशा में उक्त योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष निर्णय हेतु रखा गया है।

श्री बिनोद कुमार :— माननीया अध्यक्ष महोदया, आम लोगों की समस्या को ध्यान में रखते हुए, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्रीमती श्वेता राय :— माननीया अध्यक्ष महोदया, यह जनहित का प्रस्ताव है, वार्ड संख्या–15 में हाईयील्ड बोरिंग अधिष्ठापन से वार्ड– 15 की जनता को काफी लाभ होगा, इसे पारित किया जा सकता है।

श्रीमती श्वेता राय :— माननीया अध्यक्ष महोदया, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या-349 :- <u>सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वार्ड संख्या-15 के सभी मोहल्लों में जलापूर्ति के लिए हाईयील्ड बोरिंग लगाने के संबंध में तकनीकी अनुमोदन की प्रत्याशा में योजना की प्रशासनिक स्वीकृति सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए निगम पर्षद को अनुशंसित किया जाता है, जो निम्नवत् है :-</u>

पटना नगर निगम ★ PATNA MUNICIPAL CORPORATION ★

S. No	Name of Work	Estimated Amount
1	Construction of High Yield Tube Well at Backside of Yarpur Dom Khana in Ward No.-15	1,36,46,800.00

मद संख्या- 24 :- वार्ड संख्या-15 के सभी मोहल्लों में हर घर नल का जल आपूर्ति के संबंध में।

अध्यक्ष :- इस आशय का संलेख अप्राप्त है, संलेख अगली बैठक में रखे।

महापौर
पटना नगर निगम

मद संख्या- 25 :- गाँधी सरोवर(मंगल तालाब) के लिंक पथ रोड का नाम रेड क्रास सोसाईटी के नाम पर नामकरण करने के संबंध में।

अध्यक्ष :- इस आशय का संलेख अप्राप्त है, संलेख अगली बैठक में रखें।

मद संख्या–26 :– **कंकड़बाग में एम०आई०जी० सेक्टर–100 स्थित पार्क (उद्यान) का नामकरण लोकनायक जय प्रकाश नारायण के सहयोगी एवं राज्य सरकार के पूर्व मंत्री स्वर्गीय मिथिलेश कुमार सिंह के नाम पर मिथिलेश सिंह पार्क करने के संबंध में।**

अध्यक्ष :– **नामकरण का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।**

नगर आयुक्त :– पटना नगर निगम की सशक्त स्थायी समिति की 13वीं साधारण बैठक की कार्य सूची संख्या– 26 में कंकड़बाग में एम०आई०जी० सेक्टर–100 स्थित पार्क (उद्यान) का नामकरण लोकनायक जय प्रकाश नारायण के सहयोगी एवं राज्य सरकार के पूर्व मंत्री स्वर्गीय मिथिलेश कुमार सिंह के नाम पर "मिथिलेश सिंह पार्क" करने का प्रस्ताव है।

स्व० मिथिलेश कुमार सिंह, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के सहयोगी एवं राज्य सरकार के पूर्व मंत्री थे। राज्य भर में पर्यावरणविद् के रूप में वृक्षारोपण अभियान के साथ कंकड़बाग कॉलनी में पार्को के विकास अभियान में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। अतः स्थानीय नागरिको की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए तथा उनकी समृति को अक्षुण्ण बनाये रखने हेतु कंकड़बाग में एम०आई०जी० सेक्टर–100 स्थित पार्क (उद्यान) का नामकरण लोकनायक जय प्रकाश नारायण के सहयोगी एवं राज्य सरकार के पूर्व मंत्री स्वर्गीय मिथिलेश कुमार सिंह के नाम पर "मिथिलेश सिंह पार्क" करने हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष निर्णय हेतु रखा गया है। (माननीय पार्षद, वार्ड संख्या– 34 का अनुशंसा पत्र संलग्न)

प्रस्ताव संख्या-350 :- सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि कंकड़बाग में एम०आई०जी० सेक्टर–100 स्थित पार्क (उद्यान) का नामकरण लोकनायक जय प्रकाश नारायण के सहयोगी एवं राज्य सरकार के पूर्व मंत्री स्वर्गीय मिथिलेश कुमार सिंह के नाम पर मिथिलेश सिंह पार्क करने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

पटना नगर निगम ★ PATNA MUNICIPAL CORPORATION

महापौर
पटना नगर निगम

मद संख्या-27 :- क्षेत्र में चल रहे रैन बसेरा में निःशुल्क रात्रि भोजन की व्यवस्था के संबंध में।

अध्यक्ष :- इस आशय का संलेख अप्राप्त है। संलेख अगली बैठक में रखें।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, पटना नगर निगम क्षेत्र में दीदी की रसोई के द्वारा रैन बसेरा में निःशुल्क रात्रि भोजन की आपूर्ति रैन बसेरा में रहने वाले व्यक्तियों को की गई है। जिस पर निगम द्वारा राशि का खर्च किया गया है। रैन बसेरा में भोजन आपूर्ति पर व्यय किये गये राशि की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाय।

श्रीमती श्वेता राय :- माननीया अध्यक्ष महोदया, पटना बिहार की राजधानी है। यहाँ दूर दराज से एवं अन्य प्रदेश से भी लोग काम के लिए आते है। जो गरीब होते है। उन्हें ठंड के मौसम रहने के लिए रैन बसेरा में जगह उपलब्ध करायी जाती है एवं उन्हें निःशुल्क भोजन भी दिया जाता है। यह प्रस्ताव जनहित में है, इस पर व्यय हुई राशि की भुगतान की घटनोत्तर स्वीकृति दी जा सकती है।

श्रीमती कावेरी सिंह :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्यों के प्रस्ताव से सहमत हूँ। इसकी घटनोत्तर स्वीकृति दी जाय।

उप-महापौर :- रैन बसेरा में भोजन वितरण कार्य को मैंने भी देखा है। जो सराहनीय है। मैं माननीय सदस्य के प्रस्ताव से सहमत हूँ।

प्रस्ताव संख्या-351 :- सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि दीदी की रसौई द्वारा निगम क्षेत्र के रैन बसेरा में यात्रियों के लिए निःशुल्क भोजन की आपूर्ति पर हुए व्यय की गई राशि की भुगतान की घटनोत्तर स्वीकृति सशक्त स्थायी समिति द्वारा प्रदान की जाती है।

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION पटना कारपोरेशन

मद संख्या-28 :- सी0एस0आर0 के तहत निगम क्षेत्र में 100 वाटर ए0टीम0एम0 अधिष्ठापन एवं संचालन करने के संबंध में।

सीता साहू
महापौर
पटना नगर निगम

अध्यक्ष :- इस आशय का संलेख अप्राप्त है, संलेख अगली बैठक में रखे।

मद संख्या-29 :- **महापौर, उप-महापौर एवं नगर आयुक्त के आवासीय कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों का बायोमेट्रिक सिस्टम द्वारा उपस्थिति दर्ज कराने के संबंध में।**

अध्यक्ष :- कर्मचारियों का बायोमेट्रिक सिस्टम द्वारा उपस्थिति दर्ज कराने का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- माननीया महापौर, उप-महापौर एवं नगर आयुक्त के आवासीय कार्यालय में जो कर्मचारी कार्यरत हैं उनकी उपस्थिति बायोमेट्रिक सिस्टम के माध्यम से दर्ज किया जाना आवश्यक है। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-15498, दिनांक-01.01.2022 के आलोक में माननीया महापौर, उप-महापौर एवं नगर आयुक्त के आवासीय कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों का बायोमेट्रिक सिस्टम द्वारा उपस्थिति दर्ज करने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति के समक्ष विमर्श एवं निर्णय हेतु रखा गया है।

श्री बिनोद कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, यह अच्छा प्रस्ताव है, इससे कर्मचारियों पर नियंत्रण रहेगा। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या-352:- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के आदेश के आलोक में माननीया महापौर, उप-महापौर एवं नगर आयुक्त के आवासीय कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों का बायोमेट्रिक सिस्टम द्वारा उपस्थिति दर्ज कराने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

पटना नगर निगम * PATNA MUNICIPAL CORPORATION

मद संख्या–30 :– पटना की गंगा नदी के बीच भामाशाह जी की मूर्ति के लिए प्रस्ताव, जिसे त्याग की प्रतिमूर्ति **(Statue of Sacrifice)** के रूप मे माना जाए।

महापौर
पटना नगर निगम

अध्यक्ष :— पटना के गंगा नदी के बीच भामाशाह जी की मूर्ति स्थापित करने का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :— पटना नगर निगम की सशक्त स्थायी समिति की 13वीं साधारण बैठक की कार्य सूची संख्या– 30 में गंगा नदी के बीच भामाशाह जी की मूर्ति, न्याय की प्रतिमूर्ति (Statue of Sacrifice) के रूप में स्थापित करने का प्रस्ताव है।

दानवीर, शूरवीर वैश्य शिरोमणि भामाशाह जी, विश्व के वैश्य समाज के लिए गर्व एवं बलिदान के प्रतीक हैं। उन्होने अपने देश और मातृभूमि के लिए अपनी सम्पूर्ण संपत्ति का त्याग किया। महाराणा प्रताप के मुगल साम्रज्य के खिलाफ संघर्ष में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

अतः उपरोक्त के आलोक में स्थल उपलब्धता की प्रत्याशा में भामाशाह जी की मूर्ति को त्याग की प्रतिमूर्ति (Statue of Sacrifice) के रूप से जाना जाएगा, को स्थापित करने हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष निर्णय हेतु रखा गया है।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, पटना की गंगा नदी के बीच भामाशाह जी की मूर्ति, जिसे त्याग की प्रतिमूर्ति (Statue of Sacrifice) के रूप में स्थापित करने का प्रस्ताव है। भामाशाह जी दानवीर एवं विश्व के वैश्य समाज के लिए गर्व एवं बलिदान के प्रतीक है। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्रीमती श्वेता राय :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं इस प्रस्ताव से सहमत हूँ। इसे पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या-353:- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पटना की गंगा नदी के बीच भामाशाह जी की मूर्ति, जिसे त्याग की प्रतिमूर्ति (Statue of Sacrifice) के रूप स्थापित करने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए सरकार को अनुशंसित किया जाता है।**

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

मद संख्या–31:— आदर्श नगर पथ, कृष्णानगर, पटना का नाम प्रतिष्ठित साहित्यकार पदमश्री उषा किरण खान के नाम पर रखने के संबंध में।

महापौर
पटना नगर निगम

अध्यक्ष :— प्रतिष्ठित साहित्यकार पदमश्री उषा किरण खान के नाम से नामकरण का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :— पटना नगर निगम की सशक्त स्थायी समिति की 13वीं साधारण बैठक की कार्य सूची संख्या–31 में आदर्श नगर पथ, कृष्णानगर, पटना का नाम प्रतिष्ठित साहित्यकार पदमश्री उषा किरण खान के नाम पर रखने का प्रस्ताव है।

उषा किरण खान देश की हिन्दी एवं मैथिली की प्रख्यात साहित्यकार थीं। उषा किरण खान पटना के उन महानुभवों में से थीं, जिन्होंने न सिर्फ बिहार, भारतवर्ष, और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पटना शहर का नाम रौशन किया है। उनके इस योगदान हेतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा उन्हें पदमश्री से सम्मानित किया गया है। अतः उनकी की स्मृति को अक्षुण्ण बनाए रखने हेतु **आदर्श नगर पथ, का नाम साहित्यकार पदमश्री उषा किरण खान** के नाम से नामकरण करने हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष निर्णय हेतु रखा गया है।

श्री इन्द्रदीप कु0 चन्द्रवंशी :— माननीया अध्यक्ष महोदया, हिन्दी और मैथिली साहित्य की सुप्रसिद्ध लेखिका डा0 उषा किरण खान, पटना नगर निगम परिवार की सदस्य थीं।उनके लिखे नाटक, कहानियाँ एवं उपन्यास ने सदैव पाठकों, साहित्यकारों, नाट्य प्रेमियों को आकर्षित किया है। उनके लेखन में मिथिला का इतिहास, कला, संस्कृति और समाज का सौंदर्य भी दिखता है। इनके पिता जगदीश चौधरी स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे। इन्होंने अपने पति सेवा निवृत आई0पी0एस0 अधिकारी रामचन्द्र खान एवं वरिष्ठ रंगकर्मी संजय उपाध्याय जी के साथ निर्माण कला मंच के बैनर तले पटना के विभिन्न स्लम बस्तियों के बच्चों की प्रतिभा को तराशकर उन्हें समाज के मुख्यधारा में जोड़ने का काम किया। आज उनके संरक्षण में पल बढ़कर स्लम के दर्जनों बच्चे नाट्य, संगीत, कला जगत में नाम रौशन कर रहें है। उन्हें 2015 मे भारत सरकार ने पदमश्री जैसे महत्वपूर्ण सम्मान से सम्मानित किया। वर्ष 2019 में भारत भारती सम्मान से उन्हें सम्मानिकिया गया। वर्ष 2011 में मैथिली उपन्यास 'भामती' के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया। मैं आज पिछले दो टर्म से पटना नगर निगम में पार्षद हूँ, सशक्त स्थायी समिति का सदस्य हूँ। पटना शहर में सक्रिय रंगकर्मी एवं समाज सेवा से जुड़ा हूँ। इसका श्रेय निश्चय तौर पर पद्मश्री उषा किरण खान मैडम को जाता है। जिन्होंने मेरे जैसे दर्जनों स्लम के युवाओं का जीवन बदलने का कार्य किया है।

उनके नाम से सड़क का नामाकरण कर पटना नगर निगम इनको सच्ची श्रधांजली देने का कार्य करें। मैं माननीया महापौर, श्रीमती सीता साहू जी को इनके नाम से सड़क नामाकरण के प्रस्ताव को लाने के लिए दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। कला, साहित्य, नाट्य जगत के लोग आपके इस प्रयास को सदैव याद रखेगें। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ एवं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता

सीता साहू
महापौर
पटना नगर निगम

PATNA MUNICIPAL CORPORATION पटना नगर निगम

हूँ कि पद्मश्री उषा किरण खान के नाम से सड़क नामकरण के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया जाए।

डा0 आशीष कु0 सिन्हा :– माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य इन्द्रदीप चन्द्रवंशी जी के सुझाव एवं प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ श्रद्धेय उषा किरण खान जी का पूरा जीवन प्रेरणादायक है। उनके नाम पर सड़क नामांकरण के प्रस्ताव को पारित कर हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते है। इस प्रस्ताव को पारित किया जाए।

प्रस्ताव संख्या-354 :- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आदर्श नगर पथ, कृष्णानगर, पटना का नाम प्रतिष्ठित साहित्यकार पदमश्री उषा किरण खान के नाम से नामाकरण करने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

मद संख्या-32:- श्री अनिल कुमार पाण्डेय, सेवा निवृत, सहायक, पटना नगर निगम का संविदा के आधार पर नियोजन के संबंध में।

अध्यक्ष :- इस आशय का संलेख अप्राप्त है, अगली बैठक में संलेख रखा जाय।

श्री बिनोद कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, श्री अनिल कुमार पाण्डेय, लेखा शाखा में सहायक के पद पर कार्यरत हैं। ये निगम के कर्मचारियों के भविष्य निधि एवं लेखा संधारण का कार्य करते हैं। ये अपने कार्य कुशलता पूर्वक करते है एवं शारिरिक रूप से भी स्वस्थ्य है। इन्हें संविदा के आधार पर रखने हेतु संलेख अगली बैठक में रखा जाय।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ । इस मद का संलेख अगली बैठक में रखा जाय।

मद संख्या-33 :- माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश दिनांक-16.10.2024 के अनुपालन में विभिन्न विज्ञापन एजेंसी से प्राप्त सूची के अनुसार मांग राशि की गणना कर प्रेषित करने के संबंध में।

अध्यक्ष :- माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में विज्ञापन एजेंसी से प्राप्त सूची के अनुसार मांग राशि की गणना करने का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

सीता साहू
महापौर
पटना नगर निगम

नगर आयुक्त :– माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Special leave Petition (Civil) No-22592/2016(Patna Municipal Corporation & Others Vs. TRIBO AD BUREAU & OTHERS)एवंSpecial leave Petition (Civil) No-24582/2024 (Patna Municipal Corporation & Others Vs. M/S KRAFT & ORS) में पारित न्यायादेश दिनांक–16.10.2024 के अनुपालन हेतु सभी विज्ञापन एजेंसी से प्राप्त वर्ष-वार सूची के अनुसार माँग पत्र की गणना कर प्रेषित किये जाने का निदेश प्राप्त है।

डा0 आशीष कु0 सिन्हा :- माननीया अध्यक्ष महोदया, विज्ञापन एजेंसियों द्वारा लगाये गये होर्डिंग की सही गणना नहीं हो रही है। मेरा सुझाव है कि विज्ञापन एजेंसियों द्वारा लगाये गये होर्डिंग की सही गणना करायी जाय।

श्री इन्द्रदीप कु0 चन्द्रवंशी :- माननीया अध्यक्ष महोदया, पूर्व में अपर नगर आयुक्त द्वारा पूरे निगम क्षेत्र में होर्डिंग को काटा गया था। कितना होर्डिंग काटा गया उसकी भी सूची उपलब्ध होगी, उस सूची को मिलान कर गणना की कार्रवाई की जाय। मेरा सुझाव है कि संयुक्त नगर आयुक्त को इस कार्य की जिम्मेवारी दी जाय।

उप-महापौर :- माननीया अध्यक्ष महोदया, विज्ञापन एजेंसी से भी निगम को अच्छी आय होने की संभावना है। एजेंसियों द्वारा विज्ञापन कर की हेरा-फेरी की जाती है। इसकी गणना में सावधानी बरतने की जरूरत है।

प्रस्ताव संख्या-355 :- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Special leave Petition (Civil) No- 22592/2016(Patna Municipal Corporation & Others Vs. TRIBO AD BUREAU & OTHERS) एवं Special leave Petition (Civil) No- 24582/2024 पारित न्यायादेश दिनांक–16.10.2024 के अनुपालन में विभिन्न विज्ञापन एजेंसियों से प्राप्त वर्ष-वार सूची के अनुसार मांग पत्र की राशि की गणना करने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए निगम पर्षद को अनुशंसित किया जाता है। साथ ही निगम द्वारा निर्गत माँग पत्र का भुगतान करने वाले विज्ञापन एजेंसियों के होर्डिंग को ही नियमितिकरण किया जाएगा।**

पटना नगर निगम ★ PATNA MUNICIPAL CORPORATION ★

महापौर
पटना नगर निगम

मद संख्या- 34:- **दिनांक-19.01.2025 को पटना में आयोजित होने वाले हाफ मैराथन में in association by में पटना नगर निगम के द्वारा भागीदारी देने के संबंध में।**

अध्यक्ष :- हाफ मैराथन का प्रस्ताव है, स्पष्ट करे।

नगर आयुक्त :- संपादक, दैनिक जागरण, पटना के द्वारा पटना में दिनांक-19.01.2025 को हाफ मैराथन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पटना नगर निगम को भी भाग लेने हेतु अनुरोध किया गया है।

उल्लेखनीय है कि दिनांक-19.01.2025 को पटना में आयोजित होने वाले हाफ मैराथन में in association by में पटना नगर निगम के द्वारा भागीदारी देना है तथा निगम के चकाचक पटना का Logo एवं स्वच्छ पटना, सुन्दर पटना का स्लोगन उपयोग करने की अनुमति प्रदान करना है। साथ ही दिव्यांगों की भागीदारी के लिए भी अनुरोध किया जाना है। इस हेतु हाफ मैराथन में in association by में राशि 6.0 लाख + GST 18% का व्यय होना है, जिसपर विमर्श/निर्णय हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, चका-चक पटना का लोगो(Logo)एवं स्वच्छ पटना, सुन्दर पटना, स्वस्थ्य पटना का स्लोगन उपयोग हाफ मैराथन के लिए करने स्वीकृति दी जा सकती है। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्री बिनोद कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, इस प्रस्ताव की घटनोत्तर स्वीकृति दी जा चुकी है। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या-356:- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि दिनांक-19.01.2025 को पटना में आयोजित होने वाले हाफ मैराथन में in association by में पटना नगर निगम के द्वारा भागीदारी देने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

मद संख्या- 35:- **Corporate Social Responsibility (CSR) गतिविधि के तहत अनुदान के संबंध में।**

सीता साहू

महापौर
पटना नगर निगम

अध्यक्ष :- Corporate Social Responsibility (CSR) गतिविधि के तहत अनुदान का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- Ministry of corporate Affairs, Govt Of India द्वारा पटना नगर निगम को CSR गतिविधियों के तहत Registration No-CSR0081358 द्वारा पंजीकृत किया गया है। जिसके आलोक में विभिन्न संस्थानों से विकासात्मक कार्यो हेतु CSR के माध्यम से अनुदान प्राप्त किया जा सकता है। उक्त के क्रम में HUDCO द्वारा CSR के माध्यम से प्राप्त होने वाले अनुदान से मौर्यालोक कॉम्पलेक्स में दो चक्का वाहन हेतु ऑटोमैटेड वाहन पार्किंग का निर्माण कराया जाना है। एक अद्द ऑटोमेटेड पार्किंग में 96 दो चक्का वाहन लगाया जा सकता है।

उक्त के आलोक में तीन अद्द ऑटोमेटेड दो चक्का वाहन पार्किंग लगवाने पर होने वाले व्यय HUDCO से CSR मद में प्राप्त राशि से करने व शेष व्यय निगम निधि में उपलब्ध राशि से करने पर निर्णय हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है।

डा0 आशीष कु0 सिन्हा :- माननीया अध्यक्ष महोदया, लोग दो चक्का वाहनों को यत्र-तत्र खड़ा कर देते है, उससे जाम की समस्या उत्पन्न होती है। ऑटोमेटेड पार्किंग बन जाने से वाहनों को रखने में सुविधा होगी एवं जाम की समस्या से निजात मिलेगी। परन्तु योजना पर कितनी राशि व्यय होगी, इसका उल्लेख नहीं है। इसे स्पष्ट किया जाय।

श्री इन्द्रदीप कु0 चन्द्रवंशी :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य के प्रस्ताव से सहमत हूँ । मेरा सुझाव है कि निगम को कितनी राशि CSR से प्राप्त होगी और कितनी राशि निगम मद से खर्च करना है, पूर्ण विवरण के साथ संलेख अगली बैठक में रखें।

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

महापौर
पटना नगर निगम

प्रस्ताव संख्या-357 :- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि Corporate Social Responsibility (CSR) के तहत प्राप्त अनुदान से 03 अदद ऑटोमेटेड दो चक्का वाहन पार्किंग निर्माण पर होने वाले व्यय HUDCO से CSR के मद में प्राप्त राशि एवं शेष राशि का व्यय निगम मद से करने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए निगम पर्षद को अनुशंसित किया जाता है।**

मद संख्या- 36:- श्री प्रसून सिन्हा, विद्वान अधिवक्ता, रिटेनर, पटना नगर निगम को निगम की सेवा से मुक्त करने के संबंध में।

नगर आयुक्त :- श्री प्रसून सिन्हा, विद्वान अधिवक्ता, रिटेनर, पटना नगर निगम क्षेत्र में बहुत सारे मामलें को देख रहें है। इन्हें हटाना अभी उचित नहीं है।

डा0 आशीष कु0 सिन्हा :- माननीया अध्यक्ष महोदया, दिनांक-11.06.2023 को मद संख्या-06, प्रस्ताव संख्या-25 सशक्त स्थायी समिति के तृतीय बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अधिवक्ताओं के पुराने पैनल को निरस्त कर नये पैनल के गठन के प्रस्ताव को पारित किया गया था। जिसका अनुपालन अब तक नहीं हुआ है। श्री प्रसून सिन्हा, विद्वान अधिवक्ता, रिटेनर, पटना नगन निगम द्वारा कई ऐसे कार्य किए गए, जिससे नगर निगम को काफी नुकसान हुआ है। अत: मेरा सुझाव है कि श्री प्रसून सिन्हा, विद्वान अधिवक्ता, रिटेनर, पटना नगर निगम को निगम की सेवा से मुक्त कर अधिवक्ताओं के नए पैनल के गठन के प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्रीमती श्वेता राय :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य के प्रस्ताव से सहमत हूँ। श्री प्रसून सिन्हा, विद्वान अधिवक्ता, रिटेनर, पटना नगर निगम को निगम की सेवा से मुक्त कर अधिवक्ताओं के नए पैनल के गठन के प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्रीमती कावेरी सिंह :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं भी माननीय सदस्य के प्रस्ताव से सहमत हूँ। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

सीता साहू
महापौर
पटना नगर निगम

प्रस्ताव संख्या-358 :- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि श्री प्रसून सिन्हा, विद्वान अधिवक्ता, रिटेनर, पटना नगर निगम को निगम की सेवा से मुक्त कर अधिवक्ताओं के नए पैनल के गठन के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

मद संख्या-37:- पटना नगर निगम में वर्ष 2024 नियुक्त सभी ब्रांड एमबेस्डर के स्थान पर नये ब्रांड एमबेस्डर का चयन के संबंध में।

अध्यक्ष :- इस आशय का संलेख अप्राप्त है।

नगर आयुक्त :- माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि स्वच्छता सर्वेक्षण को देखते हुए सभी ब्रांड एमबेस्डर की सेवा दिनांक-30.04.2025 तक बढ़ाई जाय। क्योंकि सभी ब्रांड एमबेस्डर का नाम प्रोटल पर अंकित है।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, स्वच्छता सर्वेक्षण को देखते हुए ब्रांड एमबेस्डर की सेवा दिनांक-30.04.2025 तक विस्तार किया जाय। उसके बाद उसके स्थान पर नये ब्रांड एमबेस्डर के चयन हेतु संलेख अगली बैठक में लाया जाय।

श्रीमती कावेरी सिंह :- माननीया अध्यक्ष महोदया, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या-359 :- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वर्ष 2024 तक नियुक्त सभी ब्रांड एमबेस्डर को स्वच्छता सर्वेक्षण को देखते हुए उनका सेवा दिनांक-30.04.2025 तक विस्तार करने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। नये सिरे से ब्रांड एमबेस्डर के चयन हेतु संलेख उपस्थापित किया जाय।**

पटना नगर निगम ★ PATNA MUNICIPAL CORPORATION

मद संख्या-38:- सशक्त स्थायी समिति/निगम पर्षद की स्वीकृति के बिना कराये गये कार्य/योजना को अवैध माने जाने के संबंध में।

अध्यक्ष :- इस आशय का संलेख अप्राप्त है।

श्री बिनोद कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, ऐसा आये दिन देखा जा रहा है कि बिना सशक्त स्थायी समिति एवं निगम पर्षद के द्वारा योजनाओं की स्वीकृति नहीं लेकर नगर आयुक्त के

सीता साहू
महापौर
पटना नगर निगम

द्वारा योजनाओं का कार्य कराया जा रहा है। जिसकी जानकारी सशक्त स्थायी समिति एवं निगम पर्षद को भी नहीं दी जाती है, जो नियमानुकूल नहीं है। अत: मेरा सुझाव है कि सशक्त स्थायी समिति/निगम पर्षद की स्वीकृति के बिना कराये गये सभी प्रकार के कार्य/योजना को अवैध माना जाएगा, अन्यथा बिहार नगरपालिका अधिनियम,2007 के धारा 41 (7) के तहत कार्रवाई किया जा सकता है।

श्रीमती श्वेता राय :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य के प्रस्ताव का समर्थन करती हूँ। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्रीमती कावेरी सिंह :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं भी माननीय सदस्य के प्रस्ताव का समर्थन करती हूँ। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्री आशीष कु0 सिन्हा :- माननीया अध्यक्ष महोदया, योजनाओं की स्वीकृति नियमानुसार होनी चाहिए। मैं माननीय सदस्य के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। इसे पारित किया जाय।

श्री इन्द्रदीप कु0 चन्द्रवंशी :- माननीया अध्यक्ष महोदया, किसी भी प्रकार की योजनाओं की स्वीकृति बिना सशक्त स्थायी समिति/ निगम पर्षद के स्वीकृति के बिना नहीं होना चाहिए। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

उप-महापौर :- माननीया अध्यक्ष महोदया, योजनाओं की स्वीकृति के लिए ही सशक्त स्थायी समिति / निगम पर्षद का गठन हुआ है। मैं प्रस्ताव का समर्थन करती हूँ। इसे पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या-360:- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सशक्त स्थायी समिति/निगम पर्षद की स्वीकृति के बिना कराये गये कार्य/योजना को अवैध मानने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

मद संख्या 39:- **पटना नगर निगम के सभी स्त्रोतों से कितने राजस्व की प्राप्ति हुई है, पूर्ण विवरण के साथ, तथा राजस्व बढ़ाने हेतु क्या उपाय किये जा रहें है। पूर्ण विवरण के साथ उपस्थापित करें।**

अध्यक्ष :- इस आशय का संलेख अप्राप्त है, अगली बैठक में संलेख रखा जाय।

सीता साहू
महापौर
पटना नगर निगम

मद संख्या-40:- 01 जनवरी2024 से दिसम्बर, 2024 तक व्यय का विवरण प्रस्तुत करने के संबंध में।

अध्यक्ष :- इस आशय का संलेख अप्राप्त है, अगली बैठक में संलेख रखा जाय।

मद संख्या- 41:- वार्ड संख्या-29 अन्तर्गत हाईयील्ड बोरिंग अधिष्ठापित करने के संबंध में।

अध्यक्ष :- हाईयील्ड बोरिंग अधिष्ठापन का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्तः– पटना नगर निगम के बढ़ते हुए शहरीकरण एवं जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मौजूदा विभिन्न वार्डों में जलापूर्ति सुनिश्चित करने हेतु हाई यील्ड बोरिंग योजनाओं की आवश्यकता महसूस की गई है।

पटना नगर निगम के माननीय/माननीया पार्षद द्वारा वहाँ के आमलोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जलापूर्ति मुहैया कराने हेतु योजना के कार्यान्वयन हेतु निवेदित किया गया है, जिसके आलोक में संबंधित अभियंताओं द्वारा स्थल निरीक्षणोपरांत प्राक्कलन तैयार किया गया है, जिसकी विवरणी निम्न है।

S. No	Name of Work	Estimated Amount
1	Construction of High Yield Tube Well at Near Old Pump House Karbigahiya in Ward No.-29	1,36,46,800.00

वर्णित योजना का तकनीकी अनुमोदन सक्षम प्राधिकार से प्राप्त है। अतएव उक्त योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष विमर्श /निर्णय हेतु रखा गया है।

श्रीमती श्वेता राय :- माननीया अध्यक्ष महोदया, वार्ड संख्या-29 में हाईयील्ड बोरिंग अधिष्ठापन का प्रस्ताव है, इसे पारित किया जा सकता है।

श्रीमती कावेरी सिंह :- माननीया अध्यक्ष महोदया, इस प्रस्ताव को पारित किया जा सकता है।

प्रस्ताव संख्या-361 :- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वार्ड संख्या-29 अन्तर्गत हाईयील्ड बोरिंग अधिष्ठापित करने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए निगम पर्षद को अनुशंसित किया जाता है, जो निम्नवत् है :-**

S. No	Name of Work	Estimated Amount
1	Construction of High Yield Tube Well at Near Old Pump House Karbigahiya in Ward No.-29	1,36,46,800.00

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

मद संख्या- 42:- वार्ड संख्या-44 अन्तर्गत हाईयील्ड बोरिंग अधिष्ठापित करने के संबंध में।

महापौर
पटना नगर निगम

अध्यक्ष :- हाईयील्ड बोरिंग अधिष्ठापन का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- पटना नगर निगम के बढ़ते हुए शहरीकरण एवं जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मौजूदा विभिन्न वार्डों में जलापूर्ति सुनिश्चित करने हेतु हाई यील्ड बोरिंग योजनाओं की आवश्यकता महसूस की गई है।

पटना नगर निगम के माननीय/माननीया पार्षद द्वारा वहाँ के आमलोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जलापूर्ति मुहैया कराने हेतु योजना के कार्यान्वयन हेतु निवेदित किया गया है, जिसके आलोक में संबंधित अभियंताओं द्वारा स्थल निरीक्षणोपरांत प्राक्कलन तैयार किया गया है, जिसकी विवरणी निम्न है।

S. No	Name of Work	Estimated Amount
1	Construction of High Yield Tube Well at Vidyapuri Park Kankarbagh in Ward No.-44	1,36,46,800.00

वर्णित योजना का तकनीकी अनुमोदन सक्षम प्राधिकार से प्राप्त है। अतएव उक्त योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष विमर्श /निर्णय हेतु रखा गया है।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, वार्ड संख्या-44 में हाईयील्ड बोरिंग अधिष्ठापन का प्रस्ताव है, इसे पारित किया जा सकता है।

श्री बिनोद कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, इसे पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या-362 :- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वार्ड संख्या-44 अन्तर्गत हाईयील्ड बोरिंग अधिष्ठापित करने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए निगम पर्षद को अनुशंसित किया जाता है, जो निम्नवत् है :-**

S. No	Name of Work	Estimated Amount
1	Construction of High Yield Tube Well at Vidyapuri Park Kankarbagh in Ward No.-44	1,36,46,800.00

(पटना नगर निगम ★ PATNA MUNICIPAL CORPORATION)

मद संख्या- 43:- वार्ड संख्या-47 अन्तर्गत ओल्ड पम्प हाउस रामपुर साईं चौक के निकट हाईयील्ड बोरिंग अधिष्ठापित करने के संबंध में।

अध्यक्ष :- हाईयील्ड बोरिंग अधिष्ठापन का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्तः- पटना नगर निगम के बढ़ते हुए शहरीकरण एवं जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मौजूदा विभिन्न वार्डो में जलापूर्ति सुनिश्चित करने हेतु हाई यील्ड बोरिंग योजनाओं की आवश्यकता महसूस की गई है।

महापौर
पटना नगर निगम

पटना नगर निगम के माननीय/माननीया पार्षद द्वारा वहाँ के आमलोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जलापूर्ति मुहैया कराने हेतु योजना के कार्यान्वयन हेतु निवेदित किया गया है, जिसके आलोक में संबंधित अभियंताओं द्वारा स्थल निरीक्षणोपरांत प्राक्कलन तैयार किया गया है, जिसकी विवरणी निम्न है।

S. No	Name of Work	Estimated Amount
1	Construction of High Yield Tube Well at Near Old Pump House Rampur Sai Chowk in Ward No.-47	1,36,46,800.00

वर्णित योजना का तकनीकी अनुमोदन सक्षम प्राधिकार से प्राप्त है। अतएव उक्त योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष विमर्श /निर्णय हेतु रखा गया है।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, वार्ड संख्या-47 में हाईयील्ड बोरिंग अधिष्ठापन का प्रस्ताव है, इसे पारित किया जा सकता है।

श्री बिनोद कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, इसे पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या-363:- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वार्ड संख्या-47 अन्तर्गत हाईयील्ड बोरिंग अधिष्ठापित करने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए निगम पर्षद को अनुशंसित किया जाता है, जो निम्नवत् है :-**

S. No	Name of Work	Estimated Amount
1	Construction of High Yield Tube Well at Near Old Pump House Rampur Sai Chowk in Ward No.-47	1,36,46,800.00

मद संख्या- 44:- वार्ड संख्या-56 अन्तर्गत हाईयील्ड बोरिंग अधिष्ठापित करने के संबंध में।

अध्यक्ष :- हाईयील्ड बोरिंग अधिष्ठापन का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्तः— पटना नगर निगम के बढ़ते हुए शहरीकरण एवं जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मौजूदा विभिन्न वार्डो में जलापूर्ति सुनिश्चित करने हेतु हाई यील्ड बोरिंग योजनाओं की आवश्यकता महसूस की गई है।

पटना नगर निगम के माननीय/माननीया पार्षद द्वारा वहाँ के आमलोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जलापूर्ति मुहैया कराने हेतु योजना के कार्यान्वयन हेतु निवेदित किया गया है, जिसके आलोक में संबंधित अभियंताओं द्वारा स्थल निरीक्षणोपरांत प्राक्कलन तैयार किया गया है, जिसकी विवरणी निम्न है।

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

महापौर
पटना नगर निगम

S. No	Name of Work	Estimated Amount
1	Construction of High Yield Tube Well Devi Asthan Rashidachuk in Ward No.-56	1,36,46,800.00

वर्णित योजना का तकनीकी अनुमोदन सक्षम प्राधिकार से प्राप्त है। अतएव उक्त योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष विमर्श /निर्णय हेतु रखा गया है।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, वार्ड संख्या-56 में हाईयील्ड बोरिंग अधिष्ठापन का प्रस्ताव है, इसे पारित किया जा सकता है।

श्री बिनोद कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, इसे पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या-364 :- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वार्ड संख्या-56 अन्तर्गत हाईयील्ड बोरिंग अधिष्ठापित करने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए निगम पर्षद को अनुशंसित किया जाता है, जो निम्नवत् है :-**

S. No	Name of Work	Estimated Amount
1	Construction of High Yield Tube Well Devi Asthan Rashidachuk in Ward No.-56	1,36,46,800.00

मद संख्या- 45:- वार्ड संख्या-14 के अन्तर्गत जर्जर संड़क एवं नाला निर्माण के संबंध में।

अध्यक्ष :- वार्ड संख्या-14 के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

श्री बिनोद कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, कार्यपालक अभियंता, नूतन राजधानी प्रमंडल के पत्रांक-1658, दिनांक-12.00.2024 द्वारा वार्ड संख्या-14 में जर्जर सड़क एवं नाला निर्माण की योजना है। इसकी प्रशासनिक स्वीकृति एवं राशि का आवंटन उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता है, जिसकी सूची निम्नवत् है :-

क्र0	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि
1	Renovation of P.C.C. Road and U/G drain work from kacchi Talab Main Road to Pahlaad jee House in Sarisatabad in ward no-14	14,68,500.00
2	Construction Of P.C.C. Road nad U/G drain Work From Rajnish je house to Ravindra ji house in Sarisatabad in ward no-14	7,89,400.00
3	Construction Of P.C.C. Road nad U/G drain Work From Ranjeet ji house to OM prakash ji house Noniya Toli, Sarisatabad in ward no-14	12,43,300.00

महापौर

4	Renovation of P.C.C. Road work from Manish ji Appartment to Amlesh ji house in Noniya Tola , Sarisatabad in ward no-14	4,29,100.00
5	Construction Of P.C.C. Road nad U/G drain Work From Kacchi Talab Main Road to Shashi Priya in Sarisatabad in ward no-14	3,51,400.00
	कुल राशि	**42,81,700.00**

श्री मनोज कुमार- माननीया अध्यक्ष महोदया, यह जनहित का प्रस्ताव है, इसकी स्वीकृति दी जा सकती है।

प्रस्ताव संख्या-365:- सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वार्ड संख्या-14 के अन्तर्गत जर्जर संड़क एवं नाला निर्माण के प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है, जो निम्नवत् है :-

क्र0	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि
1	Renovation of P.C.C. Road and U/G drain work from kacchi Talab Main Road to Pahlaad jee House in Sarisatabad in ward no-14	14,68,500.00
2	Construction Of P.C.C. Road nad U/G drain Work From Rajnish je house to Ravindra ji house in Sarisatabad in ward no-14	7,89,400.00
3	Construction Of P.C.C. Road nad U/G drain Work From Ranjeet ji house to OM prakash ji house Noniya Toli, Sarisatabad in ward no-14	12,43,300.00
4	Renovation of P.C.C. Road work from Manish ji Appartment to Amlesh ji house in Noniya Tola , Sarisatabad in ward no-14	4,29,100.00
5	Construction Of P.C.C. Road nad U/G drain Work From Kacchi Talab Main Road to Shashi Priya in Sarisatabad in ward no-14	3,51,400.00
	कुल राशि	**42,81,700.00**

अ0मद0संख्या-01 :- स्व0 सुरेश राम पिता-स्व0 श्लोकी राम, दैनिक सफाई मजदूर, वार्ड नं0-29, कंकड़बाग अंचल, पटना नगर निगम के कार्य करने के दौरान लू लगने से ईलाज के दौरान मृत्यु के फलस्वरूप उनके आश्रित को 05 (पाँच) लाख रूपया आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के संबंध में।

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

अध्यक्ष :- सेवा काल में मृत्यु के दौरान उनके आश्रितों को 05 लाख रूपया भुगतान करने का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

सीता साहू
महापौर
पटना नगर निगम

नगर आयुक्त :– निगम पर्षद की प्रथम विशेष बैठक (बजट 2023–24) दिनांक–25.03.2023 के प्रस्ताव संख्या–03 के द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि कार्य के दौरान दुर्घटना से दैनिक कर्मियों की मृत्यु होने पर उनके आश्रित को 05 (पाँच) लाख रुपया मुआवजा देने हेतु पचास लाख रुपये का उपबंध बजट प्राक्कलन में करने के प्रस्ताव को निगम पर्षद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है।

कार्यपालक पदाधिकारी, कंकड़बाग अंचल, पटना नगर निगम के पत्रांक–3284, दिनांक–09.09.2024 के द्वारा स्व0 सुरेश राम पिता–स्व0 श्लोकी राम, दैनिक सफाई मजदूर, वार्ड न0–29, कंकड़बाग अंचल का कार्य के दौरान मृत्यु हुई है या नहीं के संबंध में स्पष्ट प्रतिवेदन की मांग अंचल के नगर प्रबंधक, मुख्य सफाई निरीक्षक एवं सफाई निरीक्षक, वार्ड सं0–29 से की गयी है (छायाप्रति संलग्न)। जिसके आलोक में संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी द्वारा दिनांक–07.10.2024 को कार्यपालक पदाधिकारी, कंकड़बाग अंचल को समर्पित जाँच प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि स्व0 सुरेश राम पिता–स्व0 श्लोकी राम, दैनिक सफाई मजदूर, वार्ड न0–29, कंकड़बाग अंचल में कार्यरत थे। जिनकी दिनांक–26.04.2024 को कार्य करने के समय अचानक लू लगने से तबीयत खराब हो जाने के कारण ईलाज के दौरान दिनांक–01.05.2024 को श्री राम की मृत्यु हो गयी (छायाप्रति संलग्न)। जिसपर कार्यपालक पदाधिकारी, कंकड़बाग अंचल द्वारा स्व0 सुरेश राम की आश्रित पत्नी मो0 आशा देवी को 05 (पाँच) लाख रुपया मुआवजा देने हेतु अनुशंसा की गयी है। जिसपर विमर्श/निर्णय हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है।

श्री बिनोद कुमार :– माननीया अध्यक्ष महोदया, स्व0 सुरेश राम, दैनिक सफाई मजदूर , वार्ड संख्या–29 का कार्य अवधि में लू लगने के कारण तबीयत खराब हो गयी और इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गयी। मेरी अनुशंसा है कि 05 लाख रू0 मुआवजा उनकी आश्रित पत्नी मो0 आशा देवी को दी जाय। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्रीमती श्वेता राय :– माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य के प्रस्ताव से सहमत हूँ। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या–366 :– **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि स्व0 सुरेश राम पिता-स्व0 श्लोकी राम, दैनिक सफाई मजदूर, वार्ड नं0-29, कंकड़बाग अंचल, पटना नगर निगम का कार्य अवधि में लू लगने से ईलाज के दौरान मृत्यु के फलस्वरूप उनके आश्रित को 05 (पाँच) लाख रूपया मुआवजा देने**

पटना नगर निगम ★ PATNA MUNICIPAL CORPORATION ★ पटना कारपोरेशन

महापौर
पटना नगर निगम

के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

अ0मद0संख्या-02 :- **दिनांक- 20.11.2024 को विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में प्रधानमंत्री एकता मॉल के निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करते हुए हस्तान्तरण के संबंध में।**

अध्यक्ष :- उद्योग विभाग द्वारा प्रधानमंत्री एकता मॉल निर्माण का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

आयुक्त :- माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में प्रधानमंत्री एकता मॉल के निर्माण हेतु चयनित उक्त भूमि बिहार एवं उड़ीसा गजट जुलाई 1920 की अधिसूचना संख्या-4542, दिनांक- 07.07.1920 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा राजापुर, ढ़कनपुरा और मैनपुरा मौजा के विभिन्न खेसरों की अधिग्रहित कुल-31 बीघा 07 चित्तक में से बोरिंग रोड स्थित ए0एन0 कॉलेज एवं पानी टंकी के नजदीक 10.255 एकड़ भूमि पटना बाँकीपुर जल कार्य हेतु पटना एडमिनिस्ट्रेशन कमिटि अब पटना नगर निगम को दी गयी है। वर्त्तमान में उक्त भूमि पर पटना नगर निगम का डम्पिंग यार्ड एवं कर्मचारियों का आवास निर्मित है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार के पत्रांक-636, दिनांक-12.03.1991 की कंडिका (क) के अनुसार राज्य सरकार के विभागों, बोर्ड , निगम, निकाय, प्राधिकार आदि के कार्यालय भवन /आवासीय भवन निर्माण के लिए सरकारी/खास महाल की जमीन की बन्दोबस्ती अस्थायी स्थानान्तरण नि:शुल्क किये जाने का प्रावधान है।

अत: सचिव उद्योग विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त पत्रांक-4649, दिनांक-28.11.2024 के आलोक में प्रधानमंत्री एकता मॉल निर्माण के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति के समक्ष विमर्श/निर्णय हेतु रखा गया है।

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION पटना कारपोरेशन

महापौर
पटना नगर निगम

श्री बिनोद कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, यह अच्छा प्रस्ताव है। प्रधानमंत्री एकता मॉल बनाने का प्रस्ताव निगमहित में है। इस प्रस्ताव को सशर्त्त पारित किया जा सकता है कि उद्योग विभाग दो तल भवन अपने खर्च से बनाकर पटना नगर निगम को देगा।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या-367 :- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पटना नगर निगम स्थित विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में प्रधानमंत्री एकता मॉल के निर्माण हेतु ए0एन0 कॉलेज, पानी टंकी के निकट संलेख के अनुसार कुल 3.39 एकड़ भूमि पर एकता मॉल बनाने एवं भूखंड के एवज में सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना एवं महापौर महोदया से हुई वार्त्ता के आलोक में उक्त मॉल के बगल में निगम को दो मंजिला भवन तैयार कर निगम को सौपेंगे, इस शर्त्त के साथ प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए निगम पर्षद को अनुशंसित किया जाता है।**

अ0मद0संख्या-03 :- **पटना नगर निगम अन्तर्गत सभी अंचलों में सम्पत्ति कर एवं ठोस कचरा प्रबंधन शुल्क एक साथ करके कर निर्धारण करने के संबंध में।**

अध्यक्ष :- सम्पत्ति कर एवं ठोस कचरा प्रबंधन शुल्क एक साथ करके कर निर्धारण करने का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- पटना नगर निगम अन्तर्गत सभी क्षेत्रों का संपत्ति कर एवं ठोस कचरा प्रबंधन शुल्क को एक साथ करके कर सम्पत्ति धारकों द्वारा स्वयं ऑन लाईन के माध्यम से कर निर्धारण किये जाने हेतु Software प्रभावी है। परन्तु पटना नगर निगम के सभी अंचलों/मुख्यालय में अधिष्ठापित कर संग्रहण कांउन्टरों पर यह सुविधा पूर्व से लागू नहीं है। जिसके कारण निगम कांउन्टरों पर सर्वप्रथम सम्पत्ति कर का निर्धारण हो रहा है और इसका कागजातों की जाँच करने के बाद पी0आई0डी0 निर्धारण करने के पश्चात ठोस कचरा शुल्क का निर्धारण किया जताा है।

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION पटना कारपोरेशन

महापौर

पटना नगर निगम द्वारा निगम क्षेत्र के सभी अंचलों एवं मुख्यालयों में अधिष्ठापित कर संग्रहण कांउन्टरों पर सम्पत्ति कर एवं ठोस कचरा शुल्क का कर निर्धारण एक साथ किये जाने हेतु एक Software का निर्माण किया गया है, जिसे प्रभावी किया जाना आवश्यक है। ताकि सम्पत्ति कर एवं ठोस कचरा प्रबंधन शुल्क का कर निर्धारण एक साथ निगम द्वारा अधिष्ठापित कांउन्टरों पर पदस्थापित डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों के द्वारा किया जा सके। जिस पर विमर्श/निर्णय हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है।

डा0 आशीष कु0 सिन्हा :- माननीया अध्यक्ष महोदया, सम्पत्ति कर और ठोस कचरा प्रबंधन शुल्क दोनों अलग-अलग विषय है। बिहार नगरपालिका अधिनियम,2007 के तहत धारा-127 में सम्पत्ति कर का निर्धारण करते है, जबकि धारा-128 में हम कचरा शुल्क की वसूली करते है। दोनों को एक साथ करने पर आगे चलकर समस्या होगी। मेरा सुझाव है कि सम्पत्ति कर के साथ कचरा शुल्क का निर्धारण नहीं किया जाय।

श्री इन्द्रदीप कु0चन्द्रवशी :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या-368:- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पटना नगर निगम अन्तर्गत सभी अंचलों में सम्पत्ति कर एवं ठोस कचरा प्रबंधन शुल्क को अलग-अलग निर्धारण करने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए निगम पर्षद को अनुशंसित किया जाता है।**

अ0मद0संख्या-04 :- **पटना नगर निगम में कार्यरत दैनिक पारिश्रमिक कर्मियों के सेवाकाल में मृत्यु होने पर अनुग्रह अनुदान के रूप में राशि 50,000/-(पचास हजार) रूपया भुगतान करने के संबंध में।**

अध्यक्ष :- दैनिक पारिश्रमिक कर्मियों के सेवाकाल में मृत्यु होने पर अनुग्रह अनुदान के रूप में राशि 50,000/-(पचास हजार) रूपया भुगतान करने का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION पटना कारपोरेशन

महापौर
पटना नगर निगम

नगर आयुक्त :- पटना नगर निगम में कार्यरत दैनिक पारिश्रमिक कर्मियों के सेवाकाल में मृत्यु होने पर अनुग्रह अनुदान के रूप में राशि-50,000/- रूपया भुगतान करने से संबंधित है।

उल्लेखनीय है कि सशक्त स्थायी समिति की 49वीं साधारण बैठक दिनांक-25.05.2021 के मद संख्या-07, प्रस्ताव संख्या-566 में सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय के आलोक में पटना नगर निगम के स्थायी चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के सेवाकाल में असामयिक मृत्यु के उपरान्त अनुग्रह अनुदान की राशि-3000/-(तीन हजार) रूपया से बढ़ाकर 50,000/-(पचार हजार) रूपया भुगतान करने की स्वीकृति कार्यालय आदेश पत्रांक-8021, दिनांक-23.06.2021 के द्वारा प्रदान की गयी है। (छायाप्रति संलग्न) जिसके अनुकूल कर्मचारी संगठन द्वारा पटना नगर निगम में कार्यरत दैनिक पारिश्रमि कर्मियों का सेवाकाल में असामयिक मृत्यु होने पर अनुग्रह अनुदान के रूप में राशि-50,000/-रूपया भुगतान करने की मांग की गयी है।

जिसपर विमर्श/निर्णय हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, दैनिक पारिश्रमिक पर कार्यरत कर्मचारी गरीब होते हैं। सेवा काल में मृत्यु होने पर उन्हें निगम की तरफ से 50,000/- रूपये अनुग्रह अनुदान देने से उनके आश्रितों को काफी सहयोग मिलेगा। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्रीमती कावेरी सिंह :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य के प्रस्ताव से सहमत हूँ। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या -369 :- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पटना नगर निगम में कार्यरत दैनिक पारिश्रमिक कर्मियों के सेवाकाल में मृत्यु होने पर अनुग्रह अनुदान के रूप में राशि 50,000/-(पचास हजार) रूपया भुगतान करने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

महापौर
पटना नगर निगम

अ0मद0संख्या-05 :- **पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत ठोस कचरा प्रबंधन के तहत कचरा को अन्यत्र फेंकने वालों के विरूद्ध अर्थदण्ड/पेनाल्टी की राशि 5000(पाँच हजार) रूपये अधिरोपित करने के संबंध में।**

अध्यक्ष :- पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत ठोस कचरा प्रबंधन के तहत कचरा को अन्यत्र फेंकने वालों के विरूद्ध अर्थदण्ड/पेनाल्टी की राशि अधिरोपित करने का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत ठोस कचरा प्रबंधन के तहत कचरा एवं गंदगी फैलाने वालों पर अर्थदण्ड/पेनाल्टी अधिरोपित करने का दर निर्धारित करने से संबंधित है, जो शहर में सफाई की व्यवस्था बनाये रखने के लिए आवश्यक है।

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 128 के तहत ठोस कचरा प्रबंधन पर यूजर चार्ज लेने का प्रावधान है। पुनः बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 228 में कचरा एवं गंदगी फैलाने पर पेनाल्टी का प्रावधान किया गया है।

ज्ञातव्य है कि नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा जो बिहार अपशिष्ट प्रबंधन (Module) अधिनियम, 2018 तैयार किया गया है, उसमें भी यूजर चार्ज एवं पेनाल्टी की दर तय किये गये हैं एवं यह भी प्रावधान किया गया है कि नगर निकाय यदि चाहें तो उक्त दर में स्थानीय परिस्थिति के अनुरूप बदलाव कर सकते हैं। (अनुसूची संलग्न)

इस कार्यालय का आदेश पत्रांक-5524, दिनांक-29.04.2019 के निम्न कंडिकावार कचरा एवं गंदगी फैलाने वालों पर अर्थदण्ड/पेनाल्टी अधिरोपित करते हुए प्रति घटना दण्ड शुल्क निर्धारित है:-

क्र	विनियमन का विवरण	दण्ड शुल्क (रू0 में)
1.	गली एवं सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी फैलाने पर दण्ड	प्रति घटना 300/-
2.	दुकानदारों द्वारा सड़क एवं सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने पर दण्ड	प्रति घटना 450/-

महापौर

3.	रेस्टुरेन्ट मालिक द्वारा सड़क एवं सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी फैलाने पर दण्ड	प्रति घटना 700/–
4.	होटल मालिकों द्वारा सार्वजनिक एवं खुले स्थलों पर गंदगी फैलाने पर दण्ड	प्रति घटना 1000/–
5.	औद्योगिक संस्थानों द्वारा सार्वजनिक एवं खुले स्थलों पर कचड़ा डम्प करने पर दण्ड	प्रति घटना 2000/–
6.	मिठाई विक्रेता, चाट, पकौडा, गोलगप्पा विक्रेता, फास्ट फुड स्टॉल, आईसक्रीम स्टॉल, गन्ना/फल विक्रेता, फल और सब्जी विक्रेता (सभी फुटपाथ पर ठेला विक्रेता) भोजनालय इत्यादि द्वारा सड़क एवं सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी फैलाने पर दण्ड	प्रति घटना 200/–
7.	दूग्ध डेयरी (पशु पालकों) द्वारा गाय का गोबर एवं अन्य पदार्थ सार्वजनिक एवं खुले स्थलों पर रखने का दण्ड	प्रति घटना 500/–
8.	सार्वजनिक स्थलों एवं सड़क का निर्माण सामग्री अथवा मलवा रखने पर दण्ड	प्रति घटना 1500/–
9.	मांस विक्रेता एवं अण्डा विक्रेता द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर पशु का खून, हड्डी, पंख, चर्म, अण्डा अन्य पदार्थ रखने पर दण्ड	प्रति घटना 1000/–

उल्लेखनीय है कि पटना नगर निगम के द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण तथा शहर को चकाचक रखने हेतु कई प्रकार के प्रयास किये जा रहे हैं। इसी क्रम में पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत ठोस कचरा प्रबंधन के तहत कचरा को अन्यत्र फेंकने वालों के विरूद्व अर्थदण्ड/पेनाल्टी की राशि 5,000/- (पाँच हजार) रूपया दण्ड अधिरोपित करने की आवश्यकता है, ताकि शहर में सफाई की व्यवस्था बनी रही। पेनाल्टी की वसूली बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 228 के प्रावधानों के अनुरूप सफाई निरीक्षक के द्वारा की जायेगी, जिसपर विमर्श/निर्णय हेतु प्रस्ताव सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है।

श्री बिनोद कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, निगम क्षेत्र में स्वच्छता सर्वेक्षण एवं चकाचक पटना एवं सुन्दर पटना बनाये रखने के लिए अतिक्रमणकारियों एवं ठोस कचरा प्रबंधन के कार्य के तहत दण्ड लगाना आवश्यक है। लोग कचरा को यत्र-तत्र फेंकते हैं, जिससे गंदगी फैलती है। यह प्रस्ताव निगमहित में इसे पारित किया जाय।

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

महापौर
पटना नगर निगम

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, जिन लोगों के द्वारा सड़कों, गलियों और नालियों में गोबर का ढेर बहाया है, उनपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्रीमती श्वेता राय :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य के प्रस्ताव का समर्थन करती हूँ। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्रीमती कावेरी सिंह :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य के प्रस्ताव का समर्थन करती हूँ। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या-370 :- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत ठोस कचरा प्रबंधन के तहत कचरा को अन्यत्र फेंकने वालों के विरूद्व अर्थदण्ड/पेनाल्टी अधिरोपित करने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए निगम पर्षद को अनुशंसित किया जाता है। अर्थदण्ड/पेनाल्टी अधिरोपित करने की सूची निम्नवत् है :-**

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION पटना कारपोरेशन

क्र	विनियमन का विवरण	दण्ड शुल्क (रू0 में)
1.	गली एवं सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी फैलाने पर दण्ड	प्रति घटना 300/-
2.	दुकानदारों द्वारा सड़क एवं सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने पर दण्ड	प्रति घटना 450/-
3.	रेस्टुरेन्ट मालिक द्वारा सड़क एवं सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी फैलाने पर दण्ड	प्रति घटना 700/-
4.	होटल मालिकों द्वारा सार्वजनिक एवं खुले स्थलों पर गंदगी फैलाने पर दण्ड	प्रति घटना 1000/-
5.	औद्योगिक संस्थानों द्वारा सार्वजनिक एवं खुले स्थलों पर कचड़ा डम्प करने पर दण्ड	प्रति घटना 2000/-
6.	मिठाई विक्रेता, चाट, पकौड़ा, गोलगप्पा विक्रेता, फास्ट फूड स्टॉल, आईसक्रीम स्टॉल, गन्ना/फल विक्रेता, फल और सब्जी विक्रेता (सभी फुटपाथ पर ठेला विक्रेता) भोजनालय इत्यादि द्वारा सड़क एवं सार्वजनिक	प्रति घटना 200/-

महापौर

	स्थलों पर गंदगी फैलाने पर दण्ड	
7.	दूध डेयरी (पशु पालकों) द्वारा गाय का गोबर एवं अन्य पदार्थ सार्वजनिक एवं खुले स्थलों पर रखने का दण्ड	प्रति घटना 500/-
8.	सार्वजनिक स्थलों एवं सड़क का निर्माण सामग्री अथवा मलवा रखने पर दण्ड	प्रति घटना 1500/-
9.	मांस विक्रेता एवं अण्डा विक्रेता द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर पशु का खून, हड्डी, पंख, चर्म अण्डा अन्य पदार्थ रखने पर दण्ड	प्रति घटना 1000/-

अ0मद0संख्या-06:- **कदमकुआँ सब्जी मंडी में जी+2 वेन्डिंग जोन का निर्माण के लिए शेष राशि के संबंध में।**

अध्यक्ष :- **वेन्डिंग जोन का निर्माण के लिए शेष राशि के संबंध में, स्पष्ट करें।**

नगर आयुक्त :–पटना नगर निगम के बांकीपुर प्रमंडल अंतर्गत कदमकुआं में **G+2** वेडिंग जोन का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। प्रस्तावित कार्य पूर्ण होने के बाद आसपास के सभी Footpath Vendors को इसमें जगह दी जाएगी । यहाँ एक अत्याधुनिक एवं सभी आधारभूत सुविधा से लैस वेन्डिंग जोन बनाने का प्रस्ताव है। इसका निर्माण कार्य प्रगति पर है।

निगम पर्षद की द्वितीय साधारण बैठक में (बजट 2024–25, दिनांक– 09.03.2024 को) Construction of Vending Zone G+2 at Kadamkuan हेतु UDHD/Nagrika Suvidha मद से बजट कर प्रावधान किया गया है। परन्तु विभाग के पत्र संख्या– 320, दिनांक–20.12.2023 द्वारा विभाग से आवंटित की जाने वाली राशि शून्य दर्शाया गया है।

अतः विभाग से राशि अब उपलब्ध नहीं कराया गया है। ज्ञातव्य है कि कदमकुआँ वेन्डिंग जोन शीध्रता शीध्र पूर्ण करने का माननीय उच्च न्यायालय, पटना से न्यायादेश पारित है तथा इसके निर्माण कार्य की माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा नियमित समीक्षा की जा रही है। उल्लेखनीय है कि इस कार्य के लिए माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC No.-9292/2021 के द्वारा जनहित याचिका दायर की गई है। तदनुसार माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन में कार्य पूर्ण कराने हेतु शेष राशि– 1,64,25,699.00 (एक करोड़ चौसठ लाख पच्चीस हजार छः सौ निन्यानबे हजार) रूपये मात्र का भुगतान/आवंटन निगम मद से करने हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष विमर्श/निर्णय हेतु रखा गया है।

श्री मनोज कुमार :– माननीया अध्यक्ष महोदया, पटना नगर निगम के बांकीपुर प्रमंडल अंतर्गत कदमकुआं में **G+2** वेडिंग जोन का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। प्रस्तावित कार्य पूर्ण होने के बाद आसपास के सभी Footpath Vendors को इसमें जगह दी जाएगी । यह एक अत्याधुनिक एवं सभी आधारभूत सुविधा से लैस वेन्डिंग जोन बनाने का प्रस्ताव है। यह वेडिंग जोन का कार्य पूरा होने पर सड़कों पर सब्जी बेचने वाले रोड पर बैठकर सब्जी नहीं बेच पायेंगे। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION पटना कारपोरेशन

सीता साहू
महापौर
पटना नगर निगम

श्री इन्द्रदीप कु0 चन्द्रवंशी :— माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य के प्रस्ताव से सहमत हूँ। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या -371 :- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि कदमकुआँ सब्जी मंडी में जी+2 वेन्डिंग जोन का निर्माण** माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश के आलोक में कार्य पूर्ण कराने हेतु शेष राशि– 1,64,25,699.00 (एक करोड़ चौसठ लाख पच्चीस हजार छः सौ निन्यानबे हजार) रूपये मात्र का भुगतान/आवंटन निगम मद से करने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए निगम पर्षद को अनुशंसित किया जाता है।

अ0मद0संख्या-07:- **निविदा प्रक्रिया के तहत पटना नगर निगम में आउटसोर्सिंग के माध्यम से मानव बल एवं वाहन चालक उपलब्ध कराये जाने हेतु नयी एजेंसी के चयन के संबंध में।**

अध्यक्ष :- मानव बल एवं वाहन चालक उपलब्ध कराये जाने हेतु नयी एजेंसी के चयन का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- पटना नगर निगम के अन्तर्गत आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से बड़े एवं छोटे वाहनों के लिए वाहन चालक उपलब्ध करायें जाने हेतु Mauryan Kars Auto Services LLp एवं सफाई कर्मी उपलब्ध कराने हेतु एजेंसी Virtuous India Pvt. Ltd. तथा M4 Solution Pvt. Ltd. का चयन एक ही निविदा प्रक्रिया के तहत किया गया था।

अतः छोटे-बड़े वाहन चालकों तथा मानव बल के लिए Minimum Wages Act को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग निविदा निम्न अनुसार किया जाना है :-

1. मानव बल (अकुशल)
2. छोटे वाहन चालक(कुशल)
3. बड़े वाहन चालक(अतिकुशल)

भविष्य में Minimum Wages Act अथवा पटना नगर निगम द्वारा निर्धारित मानव बलों के दर में संशोधन किया जाना है। अतएव उसके अनुसार भुगतान किये जाने का प्रस्ताव है। वर्त्तमान समय की महत्ता एवं स्वच्छता सर्वेक्षण को देखते हुए नयी एजेंसी के चयन एवं कार्य प्रारंभ करने तक पूर्व से कार्यरत सभी एजेंसियों की सेवा अवधि विस्तारित करने का निर्णय /विमर्श हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है।

महापौर
पटना नगर निगम

श्री बिनोद कुमार :- माननीय अध्यक्ष महोदया, पूर्व में भी सशक्त स्थायी समिति से निर्णय लिया गया था कि नई एजेंसियों को रखने हेतु निविदा किया जाय। परन्तु निविदा नहीं हो सका। बार-बार एजेसियों को अवधि विस्तार करना निगमहित में नहीं है। मेरा प्रस्ताव है कि (1) Mauryan Kars Auto Services LLp (2) Virtuous India Pvt. Ltd. तथा (3) M4 Solution Pvt. Ltd. एजेंसियों का कार्यकाल समाप्त हो गया है या होने वाला है। उनकी सेवा अवधि का विस्तार 30 अप्रैल 2025 तक किया जाय एवं 31 मार्च 2025 तक निगम में कार्यरत सभी एजेंसियों के चयन की निविदा की प्रक्रिया पूरी कर ली जाय।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य के प्रस्ताव से सहमत हूँ, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्रीमती श्वेता राय :- माननीय अध्यक्ष महोदया, यह अच्छा प्रस्ताव है, इसे पारित किया जाय।

उप-महापौर : माननीया अध्यक्ष महोदया, नई एजेंसी के चयन हेतु निविदा की प्रक्रिया प्रारंभ किया जाय।

प्रस्ताव संख्या-372 :- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पटना नगर निगम में कार्यरत (1) Mauryan Kars Auto Services LLp (2) Virtuous India Pvt. Ltd. तथा (3) M4 Solution Pvt. Ltd. एजेंसियों का कार्यकाल समाप्त हो गया है, उनकी सेवा अवधि दिनांक-30. 04. 2025 तक विस्तार करने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

अ0मद0संख्या-08:- **स्व0 परमवीर कुमार, पिता-सुदामा प्रसाद, दैनिक सफाई मजदूर, वार्ड नं0-57, अजीमाबाद अंचल, पटना नगर निगम का सेवाकाल के दौरान मृत्यु के फलस्वरूप उनके आश्रित पत्नी मो0 पूजा देवी को 05(पाँच) लाख रूपया आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के संबंध में।**

अध्यक्ष :- सेवाकाल के दौरान मृत्यु के फलस्वरूप उनके आश्रित को 05(पाँच) लाख रूपया आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

महापौर
पटना नगर निगम

नगर आयुक्त :– निगम पर्षद की प्रथम विशेष बैठक (बजट 2023–24) दिनांक–25.03.2023 के प्रस्ताव संख्या–03 के द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि कार्य के दौरान दुर्घटना से दैनिक कर्मियों की मृत्यु होने पर उनके आश्रित को 05 (पाँच) लाख रुपया मुआवजा देने हेतु पचास लाख रुपये का उपबंध बजट प्राक्कलन में करने के प्रस्ताव को निगम पर्षद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है।

कार्यपालक पदाधिकारी, अजीमाबाद अंचल, पटना नगर निगम के पत्रांक–1666, दिनांक–23.09.2024 के द्वारा स्व0 परमवीर कुमार, पिता–सुदामा प्रसाद, दैनिक सफाई मजदूर, वार्ड न0–57, अजीमाबाद अंचल का कार्य के दौरान मृत्यु हुई है या नहीं के संबंध में स्पष्ट प्रतिवेदन की मांग अंचल के नगर प्रबंधक, मुख्य सफाई निरीक्षक एवं प्रभारी सफाई निरीक्षक, वार्ड सं0–57 से की गयी है (छायाप्रति संलग्न)। जिसके आलोक में संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी द्वारा दिनांक–24.10.2024 को कार्यपालक पदाधिकारी, अजीमाबाद अंचल को समर्पित जाँच प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि स्व0 परमवीर कुमार, पिता–सुदामा प्रसाद, दैनिक सफाई मजदूर, वार्ड न0–57, अजीमाबाद अंचल में कार्यरत थे, जिनकी दिनांक–31.01.2024 को कार्य करने के दौरान मृत्यु हो गयी है।

जिसपर कार्यपालक पदाधिकारी, अजीमाबाद अंचल द्वारा स्व0 परमवीर कुमार की आश्रित पत्नी मो0 पूजा देवी को 05 (पाँच) लाख रुपया मुआवजा देने हेतु अनुशंसा की गयी है। जिसपर विमर्श/निर्णय हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है।

श्री बिनोद कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, स्व0 परमवीर कुमार, पिता-सुदामा प्रसाद, दैनिक सफाई मजदूर, वार्ड नं0-57, अजीमाबाद अंचल, पटना नगर निगम का सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो गयी है, इस कारण उनके आश्रित पत्नी मो0 पूजा देवी को 05 लाख रू0 आर्थिक सहायता देने का प्रस्ताव है, इसे पारित किया जाय।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, यह दैनिक कर्मी का प्रस्ताव है, इसे पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या :- 373:- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि स्व0 परमवीर कुमार, पिता-सुदामा प्रसाद, दैनिक सफाई मजदूर, वार्ड नं0-57, अजीमाबाद अंचल, पटना नगर निगम का सेवाकाल के दौरान मृत्यु के फलस्वरूप उनके आश्रित पत्नी मो0 पूजा देवी को 05(पाँच) लाख रूपया मुआवजा उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

महापौर
पटना नगर निगम

अ0मद0संख्या-09:- **पटना नगर निगम के Municipal Taxes एवं User Charge से संबंधित डेटाबेस तथा एप्लीकेशन (App) के रखरखाव के लिए Mass Info solutions Pvt. Ltd. (MISSPL) के साथ एकरारनामा के बिन्दु पर विमर्श के संबंध में।**

अध्यक्ष :- **एकरारनामा का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।**

नगर आयुक्त :- स्पैरो सोफ्टेक प्रा०लि० एवं पटना नगर निगम के बीच दिनांकः– 16.11.2017 को एकरारनामा किया गया था। जिसके तहत एजेंसी द्वारा पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत अवस्थित भूमि/भवनों का सम्पत्ति कर ठोस कचरा प्रबंधन शुल्क, ट्रेड लाईसेंस से संबंधित शुल्क की वसूली की जा रही थी। पटना नगर निगम के कार्यालय पत्रांक–17671 दिनांकः–18.12. 2022 के माध्यम से दिनांकः–19.12.2022 से पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत स्पैरो सोफ्टेक प्रा०लि० द्वारा वसूली की जा रही संपत्ति कर, ठोस कचरा प्रबंधन शुल्क, ट्रेड लाइसेंस एवं सम्बंधित सभी कार्य को बंद करने का निदेश एजेंसी को दिया गया। वर्तमान में संपति कर, ठोस कचरा प्रबंधन शुल्क एवं ट्रेड लाइसेंस से संबंधित डाटा एवं एप्लीकेशन को स्टेट डाटा सेंटर पर होस्ट किया गया है। होस्टेड एप्लीकेशन के माध्यम से पटना नगर निगम द्वारा अपने संसाधन से संपत्ति कर, ठोस कचरा प्रबंधन शुल्क एवं ट्रेड लाइसेंस शुल्क की वसूली की जा रही है। उक्त डेटाबेस और एप्लीकेशन(App) का रख रखाव Maas Info solutions Pvt. Ltd (MISSPL) के द्वारा किया जा रहा है। जो कि Maas Info solutions Pvt. Ltd (MISSPL) एवं पटना नगर निगम के बीच 24.05.2019 को एकरारनामा 3 वर्ष के लिए किया गया है। जिसकी अवधि मार्च 2024 में समाप्त हो गई है। इसके अवधि विस्तार हेतु प्रस्ताव सशक्त स्थायी समिति के समक्ष निर्णय हेतु रखा गया है।

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION पटना कारपोरेशन

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, सशक्त स्थायी समिति ने सभी एजेंसी के सेवा विस्तार 31.03.2025 तक किया है।

श्री बिनोद कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, निगम को कार्यरत सभी एजेंसी जिनकी सेवा अवधि समाप्त हो गयी है या होने वाली है, को 31.03.2025 तक सेवा विस्तार करने के साथ नई एजेंसी की निविदा प्रक्रिया प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है।

सीता साहू
महापौर
पटना नगर निगम

प्रस्ताव संख्या:-374 :- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पटना नगर निगम के Municipal Taxes एवं User Charge से संबंधित डेटाबेस तथा एप्लीकेशन (App) के रखरखाव के लिए Mass Info solutions Pvt. Ltd. (MISSPL) के साथ अवधि विस्तार दिनांक-31.03.2025 तक करने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

अ0मद0संख्या-10:- **पटना नगर निगम के विभिन्न अंचलों के वार्ड में रह रहे अति निर्धन परिवारों/निगम के चतुर्थ वर्गीय कर्मियों के छोटे बच्चों के लिए पालनागृह के संचालन के संबंध में।**

अध्यक्ष :- **निगम के चतुर्थ वर्गीय कर्मियों के छोटे बच्चों के लिए पालनागृह के संचालन का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।**

नगर आयुक्त :– सतत् जीविकोपार्जन शहरी के अंतर्गत पटना एवं गया जिला में आजीविका मिशन के सहयोग एवं मोबाईल क्रेशेच संस्था के माध्यम से संचालित पालना घर के तर्ज पर पटना नगर निगम के विभिन्न शहरी वार्डो में झुग्गी–झोपड़ियों में रह रहे अत्यंत निर्धन परिवारों के छोटे बच्चों को समुचित स्वास्थ्य एवं पोषण के साथ ही व्यवहारिक शिक्षा देने के उद्देश्य से पालना घर खोले जाने का प्रस्ताव है।प्रस्तावित पालना घरों का संचालन पटना नगर निगम के विभिन्न अंचल कार्यालयों के नियंत्रण में किया जा सकेगा।वर्त्तमान में ऐसे अत्यंत निर्धन परिवारों के छोटे बच्चों के लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। ऐसा होने से बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास भी होता है।साथ ही, इन अत्यंत निर्धन परिवारों की महिलाएँ भी आय–वर्धक गति विधियों से जुड़ पाती है, जिससे परिवार की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति भी सुदृढ़ होती है।प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक सहमति एवं अनुमोदन के उपरांत स्थल चयन एवं लक्षित परिवारों का चयन करा लिया जायेगा।

श्रीमती कावेरी सिंह :- माननीया अध्यक्ष महोदया, निगम के चतुर्थ वर्गीय कर्मियों के छोटे बच्चों के लिए पालनागृह के संचालन का प्रस्ताव है। यह अच्छा प्रस्ताव है, इसे पारित किया जाय।

श्रीमती श्वेता राय :- माननीया अध्यक्ष महोदया, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

पटना नगर निगम ★ PATNA MUNICIPAL CORPORATION ★ पटना कारपोरेशन

महापौर
पटना नगर निगम

प्रस्ताव संख्या-375 :- <u>सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि निगम के चतुर्थ वर्गीय कर्मियों के छोटे बच्चों के लिए पालनागृह के संचालन के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।</u>

अ0मद0संख्या-11:- **गैर आवासीय सम्पत्तियों के वार्षिक किराया मूल्य के निर्धारण में गुणकों को प्रभावी करने के संबंध में।**

अध्यक्ष :- गैर आवासीय सम्पत्तियों के वार्षिक किराया मूल्य के निर्धारण में गुणकों को प्रभावी करने का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्तः- बिहार नगरपालिका संपत्ति कर(निर्धारण, संग्रहण और वसूली) नियमावल, 2013 के नियम में गैर आवासीय संपत्ति कर के निर्धारण के लिए वार्षिक किराया मूल्य के निर्धारण हेतु निम्नलिखित तालिका में अंकित गुणकों के आधार पर करने का प्रावधान किया गया है। :-

संख्या	गैर–आवासीय कर के प्रकार	गुणक
i	होटल, बार, हैल्थ क्लब,जिमनाजियम,क्लब, विवाह–हॉल	3
ii	दुकान (250 वर्ग फीट से कम क्षेत्रफल वाले)	1
iii	दुकान (iiके अतिरिक्त), शो–रूम, शोपिंग मॉल, सिनेमा बार, मल्टीप्लेक्स, औषधालय, प्रयोगशाला, रेस्तरां, अतिथिशाला	1.5
iv	वाणिज्यिक कार्यालय, वित्तीय संस्थान, बीमा कम्पनियों के कार्यालय, बैंक, निजी अस्पताल एवं नर्सिंग होम	3
v	उद्योग, कार्याशाला, गोदाम, वेयर हाउस	2
vi	राज्य सरकार, केन्द्र सरकार के वैसे सभी प्रतिष्ठान और उपक्रम जो वाणिज्यक, व्यावसायिक एवं वित्तीय गतिविधियों में संलग्न हैं।	2
vii	सभी प्रकार के कोचिंग क्लासेज, गाईडेंस एवं प्रशिक्षण केन्द्र एवं उनके छात्रावास	1.5
viii	राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के कार्यालय जो वाणिज्यक या व्यावसायिक प्रतिष्ठान उपक्रम नहीं है।	1
ix	निजी विद्यालय, निजी महाविद्यालय, निजी शोध संस्थान, अन्य निजी शैक्षिक संस्थान एवं उनके छात्रावास	1.5
x	सांस्कृतिक एवं धार्मिक प्रकृति के स्थल, केन्द्र एवं संस्थाएँ	0

महापौर

xi	निर्धन, शारीरिक रूप से अक्षम महिलाओं तथा बच्चों के लाभार्थ पूर्त न्यासों न लाभ–हानि के आधार पर संचालित शैक्षणिक एवं सामाजिक संस्थान।	1
xii	(i) से (x) तक के अधीन अनाच्छादित कोई अन्य धृति	गुणक 1.5 होगा

उक्त नियमावली के अनुसार नियम 4 के प्रावधान नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा अलग से अधिसूचित किये जाने की तिथि से प्रभावी माने जायेंगे। जिसकी स्वीकृति हेतु सशक्त स्थायी समित के समक्ष रखा गया है।

डा0 आशीष कु0 सिन्हा :- माननीया अध्यक्ष महोदया, यह बात सही है कि सम्पत्ति कर के वार्षिक मूल्यांकन में कई वर्षों से वृद्धि नहीं हुआ है। इस संबंध में कुछ सदस्यों को मंत्री महोदय से बातें हुई है।

इस प्रस्ताव पर विचार/विमर्श हेतु निगम पर्षद को अनुशंसित किया जाय।

श्री इन्द्रदीप कु0 चन्द्रवंशी :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। इस प्रस्तवा को विमर्श हेतु निगम पर्षद को अनुशंसित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या-376:- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि गैर आवासीय सम्पत्तियों के वार्षिक किराया मूल्य के निर्धारण में गुणकों को प्रभावी करने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा विचार/विमर्श हेतु निगम पर्षद को अनुशंसित किया जाता है। गैर आवासीय संपत्ति कर के निर्धारण के लिए वार्षिक किराया मूल्य के निर्धारण हेतु निम्नलिखित तालिका में अंकित गुणकों निम्नवत् है :-**

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

संख्या	गैर–आवासीय कर के प्रकार	गुणक
i	होटल, बार, हैल्थ क्लब,जिमनाजियम,क्लब, विवाह–हॉल	3
ii	दुकान (250 वर्ग फीट से कम क्षेत्रफल वाले)	1

महापौर
पटना नगर निगम

iii	दुकान (iiके अतिरिक्त), शो–रूम, शोपिंग मॉल, सिनेमा बार, मल्टीप्लेक्स, औषधालय, प्रयोगशाला, रेस्तरां, अतिथिशाला	1.5
iv	वाणिज्यिक कार्यालय, वित्तीय संस्थान, बीमा कम्पनियों के कार्यालय, बैंक, निजी अस्पताल एवं नर्सिंग होम	3
v	उद्योग, कार्याशाला, गोदाम, वेयर हाउस	2
vi	राज्य सरकार, केन्द्र सरकार के वैसे सभी प्रतिष्ठान और उपक्रम जो वाणिज्यक, व्यावसायिक एवं वित्तीय गतिविधियों में संलग्न हैं।	2
vii	सभी प्रकार के कोचिंग क्लासेज, गाईडेंस एवं प्रशिक्षण केन्द्र एवं उनके छात्रावास	1.5
viii	राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के कार्यालय जो वाणिज्यक या व्यावसायिक प्रतिष्ठान उपक्रम नहीं है।	1
ix	निजी विद्यालय, निजी महाविद्यालय, निजी शोध संस्थान, अन्य निजी शैक्षिक संस्थान एवं उनके छात्रावास	1.5
x	सांस्कृतिक एवं धार्मिक प्रकृति के स्थल, केन्द्र एवं संस्थाएँ	0
xi	निर्धन, शारीरिक रूप से अक्षम महिलाओं तथा बच्चों के लाभार्थ पूर्त न्यासों न लाभ–हानि के आधार पर संचालित शैक्षणिक एवं सामाजिक संस्थान।	1
xii	(i) से (x) तक के अधीन अनाच्छादित कोई अन्य धृति	गुणक 1.5 होगा

अ0मद0संख्या-12:- **मौर्यालोक व्यवसायिक प्रांगण में आम नागरिकों की सुविधा के तहत रात्रि बाजार संचालन करने के संबंध में।**

अध्यक्ष :- मौर्यालोक व्यवसायिक प्रांगण में रात्रि बाजार संचालन का प्रस्ताव है, स्पष्ट है।

नगर आयुक्त :- बिहार की राजधानी पटना के मध्य में मौर्यलोक व्यवसायिक प्रांगण स्थित हैं। इस मौर्यलोक में हजारों की संख्या में आम नागरिक आते है। उनके लिए खान पान की व्यवस्था नहीं के बराबर है। मौर्यलोक प्रांगण को आधुनिक करने के साथ-साथ देश के अन्य शहरों यथा:- इन्दौर शहर के सर्राफा बाजार एवं दिल्ली शहर के चाँदनी चौक तथा कनाट पैलेस

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

महापौर
पटना नगर निगम

इत्यादि, की भाँति मौर्यलोक परिसर में आमजनों के लिए रात्रि में स्ट्रीट फूड की व्यस्था करने की आवश्यकता है। जिसके आलोक में मौर्यालोक परिसर में खोमचा, ठेला के अतिरिक्त त्रिपहिया वाहन एवं छोटा चार पहिया वाहनों के माध्यम से स्ट्रीट फूड की पूर्णतः अस्थायी रूप से (09:00 बजे रात्रि से प्रातः 04:00 बजे तक) रात्रि बाजार संचालित किये जाने का प्रस्ताव को निर्णय हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है।

डा0 आशीष कु0 सिन्हा :- माननीया अध्यक्ष महोदया, यह अच्छा प्रस्ताव है, लेकिन खोमचा, ठेला, त्रिपहिया वाहन एवं छोटा चारपहिया वाहनों में बिक्री पर नियंत्रण रखना होगा। मौर्यालोक परिसर में सिनेमा हॉल, कैफे एवं जिम बनने का कार्य प्रगति पर है। अतः उन्हें देखते हुए परिसर में रात्रि बाजार लगाने हेतु स्थल को चिन्त्ति कर अगली बैठक में पूर्ण विवरण सहित संलेख उपस्थापित किया जाय।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य के सुझाव का समर्थन करता हूँ। पहले पूरी समीक्षा के साथ संलेख अगली बैठक में लाया जाय।

अ0मद0संख्या-13:- **माह फरवरी में Network 18 के द्वारा आयोजित होने वाले Rising Cities empowering india में पटना नगर निगम के द्वारा भागीदारी देने के संबंध में।**

अध्यक्ष :- Rising Cities empowering india में पटना नगर निगम के द्वारा भागीदारी देने का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- Account Group Head, News18 Bihar/Jharkhand के द्वारा माह फरवरी में Rising Cities Empowering India के तहत आयोजन किया जाना है, जिसमें पटना नगर निगम को भी भाग लेने हेतु अनुरोध किया गया है।

उल्लेखनीय है कि माह फरवरी में Network 18 के द्वारा Pre-Event (TV), Event Day(Digital/Social Media) & Post

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

महापौर

Event (TV) कार्यक्रम में पटना नगर निगम के द्वारा किये गये उत्कृष्ट कार्य के अतिरिक्त शहर के आम-नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने (चकाचक पटना का Logo एवं स्वच्छ पटना, सुन्दर पटना, स्वस्थ पटना का स्लोगन सहित) की अनुमति प्रदान किया जाना है। इस हेतु कुल राशि 5.0 लाख+ Tax का व्यय होना है, जिसपर विमर्श/निर्णय हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है।

प्रस्ताव संख्या-377 :- **<u>सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि माह फरवरी में Network 18 के द्वारा आयोजित होने वाले Rising Cities empowering india में पटना नगर निगम के द्वारा भागीदारी देने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।</u>**

अ0मद0संख्या-14:- **पटना नगर निगम के अन्तर्गत वार्ड संख्या-02 में मुख्य सड़कें जो 06 मीटर से अधिक चौड़ी है उसका स्वामित्व हस्तानांतरण पथ निर्माण विभाग को करने के संबंध में।**

अवस्थाः पटना नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या– 02 के अंतर्गत जनहित को देखते हुए निम्न सड़कों का स्वामित्व पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव है।

क्र०सं०	वार्ड सं०	पथ का नाम	पथ की लंबाई
1	02	रामनगरी मोड़ (रामनगरी रोड) से होते मौर्यो पथ (श्यामल हॉस्पीटल) एवं अम्बेदकर पथ महिमा मंदिर (बेली रोड) तक सड़क को बिटुमिनस सड़क निर्माण।	1952 मीटर
2	02	आशियाना दीघा रोड से आशियाना नगर रोड होते हुए वन बिहार मोड़ तक एवं रामनगरी सेक्टर–04 तक बिटुमिनस सड़क निर्माण।	1090 मीटर

उल्लेखनीय है कि उक्त सभी सड़कों की चौड़ाई 06 मीटर से अधिक है एवं वर्तमान में क्षतिग्रस्त एवं जर्जर अवस्था में है। उक्त सभी पथों पर वाहनों के आवागमन का भारी दबाव बना रहता है। चूँकि वर्णित पथ मुख्य सड़क होने के कारण आवागमन प्रभावित होता है। वर्णित पथों का हस्तांतरण पथ निर्माण विभाग को करने हेतु संबंधित माननीय वार्ड पार्षद की अनुशंसा प्राप्त है।

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

महापौर
पटना नगर निगम

अतः उक्त के आलोक में वर्णित पथों का हस्तांतरण पथ निर्माण विभाग को करने की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव सशक्त स्थायी समिति के समक्ष विमर्श /निर्णय हेतु रखा गया है।

डा0 आशीष कु0 सिन्हा :– माननीया अध्यक्ष महोदया, पटना नगर निगम के अन्तर्गत वार्ड संख्या–02 में मुख्य सड़कें जो 06 मीटर से अधिक चौड़ी हैं उसका स्वामित्व हस्तानांतरण पथ निर्माण विभाग को करने का प्रस्ताव है, इसे पारित किया जाय।

श्री इन्द्रदीप कु0 चन्द्रवंशी :- माननीया अध्यक्ष महोदया, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या- 378:- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पटना नगर निगम के अन्तर्गत वार्ड संख्या-02 में मुख्य सड़कें जो 06 मीटर से अधिक चौड़ी हैं उसका स्वामित्व हस्तानांतरण पथ निर्माण विभाग को करने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है, जो निम्नवत् है :-**

क्र०सं०	वार्ड सं०	पथ का नाम	पथ की लंबाई
1	02	रामनगरी मोड़ (रामनगरी रोड) से होते मौर्या पथ (श्यामल हॉस्पीटल) एवं अम्बेदकर पथ महिमा मंदिर (बेली रोड) तक सड़क को बिटुमिनस सड़क निर्माण।	1952 मीटर
2	02	आशियाना दीधा रोड से आशियाना नगर रोड होते हुए वन बिहार मोड़ तक एवं रामनगरी सेक्टर–04 तक बिटुमिनस सड़क निर्माण।	1090 मीटर

अ0मद0संख्या–15:- **स्व0 चित्रदेव प्रसाद, दैनिक सफाई मजदूर, जलापूर्ति अंचल, पटना नगर निगम के कार्य करने के दौरान हृदय गति रूकने के कारण मृत्यु के फलस्वरूप उनके आश्रित को 05 (पाँच) लाख रूपया आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के संबंध में।**

अध्यक्ष :- कर्मचारी का सेवाकाल में मृत्यु के बाद आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

महापौर
पटना नगर निगम

नगर आयुक्त :– निगम पर्षद की प्रथम विशेष बैठक (बजट 2023–24) दिनांक–25.03.2023 के प्रस्ताव संख्या–03 के द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि कार्य के दौरान दुर्घटना से दैनिक कर्मियों की मृत्यु होने पर उनके आश्रित को 05 (पाँच) लाख रुपया मुआवजा देने हेतु 50 (पचास लाख) रुपये का उपबंध बजट प्राक्कलन में करने के प्रस्ताव को निगम पर्षद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उल्लेखनीय है कि स्व0 चित्रदेव प्रसाद, दैनिक सफाई मजदूर, जलापूर्ति अंचल का सेवाकाल में दिनांक–13.11.2023 को मृत्यु हो गई है। जलापूर्ति अंचल कार्यालय द्वारा स्व0 चित्रदेव प्रसाद, दैनिक सफाई मजदूर, जलापूर्ति अंचल के आश्रित पुत्र श्री करण कुमार को 05 (पाँच) लाख रुपया मुआवजा देने हेतु अनुशंसा की गयी है।

श्री बिनोद कुमार :– माननीया अध्यक्ष महोदया, यह कर्मचारीहित का प्रस्ताव है, इसे पारित करें।

श्री मनोज कुमार :– माननीया अध्यक्ष महोदया, यह निगम के कर्मचारी हित का प्रस्ताव है, इसे पारित करें।

प्रस्ताव संख्या-379:- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि स्व0 चित्रदेव प्रसाद, दैनिक सफाई मजदूर, जलापूर्ति अंचल, पटना नगर निगम के कार्य करने के दौरान हृदय गति रूकने के कारण मृत्यु के फलस्वरूप उनके आश्रित को 05 (पाँच) लाख रूपया आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

अ0मद0संख्या-16:- **पटना नगर निगम में दैनिक पारिश्रमिक पर कार्यरत प्रत्येक दैनिक कर्मी का व्यक्गित संचिका खोलने हेतु सेवा अभिलेख संधारित करने के संबंध में।**

अध्यक्ष :- **दैनिक पारिश्रमिक पर कार्यरत प्रत्येक दैनिक कर्मी का व्यक्गित संचिका खोलने हेतु सेवा अभिलेख संधारित करने का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।**

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

नगर आयुक्त :– पटना नगर निगम में दैनिक पारिश्रमिक पर कार्यरत प्रत्येक दैनिक कर्मी का व्यक्तिगत संचिका खोलने हेतु सेवा अभिलेख संधारित करने से

महापौर
पटना नगर निगम

संबंधित है। उल्लेखनीय है कि कर्मचारी संगठन द्वारा पटना नगर निगम में दैनिक पारिश्रमिक पर कार्यरत प्रत्येक दैनिक कर्मी का व्यक्तिगत संचिका खोलने की मांग की जा रही है। जिसके आलोक में दैनिक पारिश्रमिक पर कार्यरत कर्मियों का सेवा अभिलेख संधारित करने हेतु निम्नलिखित प्रारूप तैयार किया गया है।

दैनिक पारिश्रमिक पर कार्यरत कर्मियों का विवरण

1. कार्यालय का नाम :
2. कर्मी का नाम :
3. पिता/पति का नाम :
4. जन्म तिथि :
5. वर्तमान पता :
6. स्थायी पता :
7. निगम में कार्य प्रारंभ करने की तिथि :
8. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण–पत्र :
9. जाति/श्रेणी :
10. आधार कार्ड संख्या :
11. पैन कार्ड संख्या (यदि हो तो) :
12. बैंक खाता संख्या (जिसमें पारिश्रमिक भुगतान किया जा रहा हो) :
13. बैंक का नाम एवं शाखा :
14. ई0पी0एफ0 खाता संख्या :
15. ई0एस0आई0सी0 खाता संख्या :
16. पारिवारिक विवरणी(नॉमिनी का नाम) :
17. कर्मी का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान :

दैनिक नियोजित कर्मी के अंगुलियों का छाप		
	दायाँ	बायाँ
अंगूठा		
तर्जनी		
मध्यमा		
अनामिका		
कनिष्ठा		

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

निगम मे कार्यरत दैनिक एवं संविदा पर कार्यरत कर्मियों के व्यक्तिगत डाटा अंकित करने हेतु उक्त प्रपत्र की स्वीकृति एवं अनुमोदन हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है।

सीता साहू

महापौर
पटना नगर निगम

श्री मनोज कुमार :– माननीया अध्यक्ष महोदया, यह कर्मचारीहित का प्रस्ताव है, लेखा जोखा रहने पर कर्मचारियों को काफी सुविधा होगी। इसे पारित किया जाय।

श्री बिनोद कुमार :– माननीया अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य का प्रस्ताव अच्छा है, इसे पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या- 380:- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पटना नगर निगम में दैनिक पारिश्रमिक/संविदा पर कार्यरत कर्मियों को व्यक्तिगत संचिका (सर्विस बुक) खोलने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

अ0मद0संख्या-17:- **वार्ड संख्या-03 अन्तर्गत बिहार न्यूरो हॉस्पिटल के पीछे से शर्मा पथ को जोड़ने वाली पथ का नामकरण स्वर्गीय उषा देवी के नाम किये जाने के संबंध में।**

अध्यक्ष :- नामकरण का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :– पटना नगर निगम की सशक्त स्थायी समिति की 13वीं साधारण बैठक में वार्ड संख्या– 03 अंतर्गत बिहार न्यूरो हॉस्पिटल के पीछे से शर्मा पथ को जोड़ने वाली पथ का नामकरण स्व0 उषा देवी स्मृति पथ के नाम से करने का प्रस्ताव है। स्व० उषा देवी बहुत ही विनम्र एवं समाजसेवी महिला थी, जो स्थानीय निवासियों के लिए प्रेरणा की स्त्रोत थी। सामजिक कार्यकलापों मे उनकी सक्रिय भागीदारी एवं निवासियों को यथा सम्भव मदद करना उनकी दिनचर्या में शामिल था। अतः स्थानीय निवासियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए वार्ड संख्या– 03 अंतर्गत बिहार न्यूरो हॉस्पिटल के पीछे से शर्मा पथ को जोड़ने वाली पथ का नामकरण स्वगीर्य उषा देवी स्मृति पथ के नाम से करने हेतु प्रस्ताव सशक्त स्थायी समिति के समक्ष विमर्श/निर्णय हेतु रखा गया है।

पटना नगर निगम
PATNA MUNICIPAL CORPORATION

महापौर
पटना नगर निगम

प्रस्ताव संख्या–381:– **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वार्ड संख्या-03 अन्तर्गत बिहार न्यूरो हॉस्पिटल के पीछे से शर्मा पथ को जोड़ने वाली पथ का नामकरण स्वर्गीय उषा देवी के नाम किये जाने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

अ0मद0संख्या-18:- **पटना नगर निगम के क्षेत्रान्तर्गत वार्ड संख्या-44 में जलापूर्ति पाईप लाईन विस्तर के संबंध में।**

नगर आयुक्तः– पटना नगर निगम के बढ़ते हुए शहरीकरण एवं जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मौजूदा विभिन्न वार्डो में जलापूर्ति सुनिश्चित करने हेतु योजनाओं की आवश्यकता महसूस की गई है।

पटना नगर निगम की 07वीं सशक्त स्थायी समिति के मद संख्या–04, दिनांक–19.10.2023 के आलोक में निम्न योजना की प्रशासनिक स्वीकृति टंकीय भूलवश प्राक्कलित राशि–55,38,400.00 के स्थान पर 53,38,400.00 हो गई है। योजना में संशोधन के उपरान्त विवरणी निम्न है :–

S. No	Name of Work	Estimated Amount
1	Extension of Pipe Line in Khemnichak New Pump to East and South Mohalla at ward no-44	55,38,400-00

अतः उपरोक्त योजना की संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष विमर्श/निर्णय हेतु रखा गया है।

श्रीमती श्वेता राय :- माननीया अध्यक्ष महोदया, यह जनहित का प्रस्ताव है, इसे पारित किया जाय।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, यह जनहित का प्रस्ताव है, इसे पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या-382:- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पटना नगर निगम के क्षेत्रान्तर्गत वार्ड संख्या-44 में जलापूर्ति पाईप लाईन विस्तर की योजना में प्रशासनिक स्वीकृति में टंकण भूल के कारण प्राक्कलित राशि 55,38,400/- के स्थान पर 53,38,400/ हो गयी थी, जिसे संशोधित**

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

महापौर
पटना नगर निगम

<u>कर सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है, जो निम्नवत् है :-</u>

S. No	Name of Work	Estimated Amount
1	Extension of Pipe Line in Khemnichak New Pump to East and South Mohalla at ward no-44	55,38,400-00

श्री बिनोद कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, वार्ड संख्या-24 के अन्तर्गत जलापूर्ति पाईप नहीं लगने के कारण वहाँ पेय जल की समस्या है। मेरा सुझाव है कि पेय जल हेतु पाईप लाईन विस्तार स्वीकृति जा सकती है, जो निम्नवत् है :-

(i) Laying Water Supply Pipe line in Dujra Devi Asthan Sriraj Complex Manoj Nishad house to Sanjay Mahto House Mithapura and House to House Connection in Ward No.24

(ii) Laying Water Supply Pipe line in Dujra Purvi tola Rabindra Bhagat House to Amar nath Singh House to House Connection in Ward No.24

(iii) Laying Water Supply Pipe line in Pahlwan Ghat Gate No.14 Near New Pump House and Munna Rajak House to Sanjeev Rai House to House Connection in Ward No.24

(iv) Laying Water Supply Pipe line in Dujra Murti Gali Sanjay House to Harijan Prathmik School and House to House Connection in Ward No.24

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य का सुझाव अच्छा है, इसी स्वीकृति दी जा सकती है।

प्रस्ताव संख्या-383:- <u>सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वार्ड संख्या-24 के अन्तर्गत जलापूर्ति पाईप लाईन विस्तर की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति स्वीकृति द्वारा प्रदान की जाती है, जो निम्नवत् है :-</u>

S. No	Name of Work	Estimated Amount
1	Laying Water Supply Pipe line in Dujra Devi Asthan Sriraj Complex Manoj Nishad house to Sanjay Mahto House Mithapura and House to House Connection in Ward No.24	43,47,202.00
2	Laying Water Supply Pipe line in Dujra Purvi tola Rabindra Bhagat House to Amar nath Singh House to House Connection in Ward No.24	24,34,140.00
3	Laying Water Supply Pipe line in Pahlwan Ghat Gate No.14 Near New Pump House and Munna Rajak House to Sanjeev Rai House to House Connection in Ward No.24	14,26,730.00,

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

सीता साहू
महापौर

4	Laying Water Supply Pipe line in Dujra Murti Gali Sanjay House to Harijan Prathmik School and House to House Connection in Ward No.24	13,94,713.00

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, कार्तिक छठ पूजा 2024 में पाटलीपुत्र प्रमंडल एवं नूतन राजधानी प्रमंडल के अन्तर्गत कुछ घाटो की सूची छुट गया था। मेरा सुझाव है छुटे हुए घाटों को स्वीकृति प्रदान की जाय। जो निम्नवत् है :-

क्र0	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि	अंचल का नाम
1	Estimate for Extra Barricading with sall balaha & fencing of nylon net crematorium & Lighting arrangement near of shiva ghat & pati pool Ghat on the occasion of kartik chhath festival & kartik purnima festival during 2024.	05,98,900.00	पाटलिपुत्र प्रमंडल
2	Estimate for Extra Lighting & cloth fencing arrangement from T-point To ganga Research center at Collectrate Ghat for kartik chhath 2024	06,36,500.00	
3	Estimate for Extension pf parking & its connecting path with lighting arrangement at collectrate Ghat for kartik Chhath 2024	07,88,000.00	
4	Estimate for Renovation of crematourium shade at Bindtoli Ghat under PMC.	06,03,500.00	
5	Estimate for Levelling of Aproch Road at Ghat no-93 & j.p setu ghat on the occasion of kartik chhath 2024	04,20,700.00	
6	Construction of approach road Local sand & s/f/f cement bag & carpet work for mahendru ghat at the accession of kartik chhath & kartik purnima festival 2024	14,01,223.00	नूतन राजधानी प्रमंडल
7	Construction of approach road brick bat, earth work and light works for mahendru ghat at the accession of kartik chhath & kartik purnima festival 2024	14,80,850.00	

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

(हस्ताक्षर)
महापौर
पटना नगर निगम

श्रीमती श्वेता राय :- माननीया अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य का प्रस्ताव उचित है, इसे पारित किया जाय।

श्रीमती कावेरी सिंह :- माननीया अध्यक्ष महोदया, कार्तिक छठ में कुछ घाटो का नाम सूची में छुट गया है, उसे शामिल करते हुए पारित किया जाय। मैं माननीय सदस्य के प्रस्ताव का समर्थन करती हूँ।

प्रस्ताव संख्या-384:- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि कार्तिक छठ पूजा 2024 के अवसर पर पाटलीपुत्र प्रमडंल एवं नूतन राजधानी प्रमंडल के घाटो की सूची छुट गयी थी, उसे शामिल करते हुए सशक्त स्थायी समिति द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की जाती है, जो निम्नवत् है**

क्र0	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि	अंचल का नाम
1	Estimate for Extra Barricading with sall balaha & fencing of nylon net crematorium & Lighting arrangement near of shiva ghat & pati pool Ghat on the occasion of kartik chhath festival & kartik purnima festival during 2024.	05,98,900.00	
2	Estimate for Extra Lighting & cloth fencing arrangement from T-point To ganga Research center at Collectrate Ghat for kartik chhath 2024	06,36,500.00	
3	Estimate for Extension pf parking & its connecting path with lighting arrangement at collectrate Ghat for kartik Chhath 2024	07,88,000.00	
4	Estimate for Renovation of crematourium shade at Bindtoli Ghat under PMC.	06,03,500.00	पाटलिपुत्र प्रमंडल
5	Estimate for Levelling of Aproch Road at Ghat no-93 & j.p setu ghat on the occasion of kartik chhath 2024	04,20,700.00	
6	Construction of approach road Local sand & s/f/f cement bag & carpet work for mahendru ghat at the accession of kartik chhath & kartik purnima festival 2024	14,01,223.00	नूतन राजधानी प्रमंडल

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

महापौर

7	Construction of approach road brick bat, earth work and light works for mahendru ghat at the accession of kartik chhath & kartik purnima festival 2024	14,80,850.00	

अध्यक्ष :- बैठक में उपस्थित माननीय सदस्यों, नगर आयुक्त एवं सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद देते हुए बैठक समाप्ति की घोषणा की जाती है।

सीता साहू
20/3/25
(सीता साहू)
पटना नगर निगम
अध्यक्ष,
पटना नगर निगम, पटना।

प्रतिलिपि :- माननीया महापौर/ माननीय उप-महापौर/ माननीय सदस्य, सशक्त स्थायी समिति/ नगर आयुक्त/ सभी संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Ramashish
नगर सचिव, 27.3.25
पटना नगर निगम,पटना।

26/03/25

पटना नगर निगम
PATNA MUNICIPAL CORPORATION
पटना कारपोरेशन